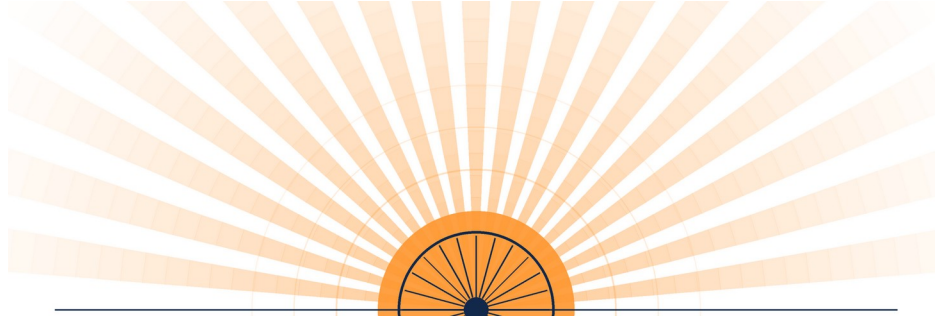




UPSC DARPAN

शीलं परं भूषणम्

Sheelam param bhushanam · Character is the highest ornament

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration) का आदर्श वाक्य, भर्तृहरि के शतकत्रय (Bhartarihari's Shataktraya) से

यूपीएससी सीएसई (UPSC CSE) परीक्षा संसाधनों के लिए आपका एकमात्र समाधान।

Welcome to the Ohana family

Hum jeet ka maja chakh kar rahenge.

आज का उद्धरण

“मनुष्यों पर मनुष्यों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार गढ़ने में बड़ी कठिनाई यह है कि पहले तुम्हें सरकार को शासितों पर नियंत्रण रखने योग्य बनाना होगा, और फिर उसे स्वयं पर भी नियंत्रण रखने को बाध्य करना होगा।”

— द फ्रेडरलिस्ट नं. 51 (8 फरवरी 1788), जेम्स मैडिसन को श्रेय

द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली संस्करण) — 5 अक्टूबर 2026

सामान्य अध्ययन (General Studies) · दैनिक समसामयिकी (Daily Current Affairs) · संकल्पना मैट्रिक्स (Concept Matrix) · बिंदुवार विश्लेषण (Point-Wise Analysis)

क्षमता · गुमनामी · सादगी (Ability · Anonymity · Austerity)

निःशुल्क, और हर अभ्यर्थी के लिए — चाहे वे भुगतान कर सकें या न कर सकें।

संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)

यह पत्रिका क्यों मौजूद है, और इसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए

यह पत्रिका एक वादे के बजाय एक स्वीकृति के साथ शुरू होती है। सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) अंततः यह परीक्षा नहीं है कि आपने कितना एकत्र किया है। पिछले दशक के प्रश्नपत्रों को पढ़ने पर हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि यह परीक्षा वास्तव में जो पूछती है — सामान्य अध्ययन (General Studies) के प्रश्नपत्रों, निबंध (essay) और साक्षात्कार (interview) में — उसका साठ प्रतिशत से अधिक हिस्सा कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिसे आप खोज सकें। यह एक विवादास्पद मुद्दा (critical issue) है: एक जीवंत सार्वजनिक समस्या जिसके भीतर परस्पर विरोधी हित हों, और जिस पर आपसे सोचने, तौलने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की अपेक्षा की जाती है। जिस अभ्यर्थी ने हजार तथ्य याद कर लिए हों और उनमें से किसी के बारे में भी न सोचा हो, वही वह अभ्यर्थी है जो चार सौ अंक लिखता है और समझ नहीं पाता कि क्यों।

यही पूरा कारण है कि यह पत्रिका अपने वर्तमान स्वरूप में मौजूद है। यहां हर कहानी को एक अध्ययन कार्ड (study card) में बदला गया है जो सोचने का काम आपके साथ करता है, आपके लिए नहीं: क्या हुआ, यह पाठ्यक्रम की किस पंक्ति पर बैठता है, परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं, वे मुट्ठी भर तथ्य जो वास्तव में प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं, नामित बिंदुओं में विभाजित एक विश्लेषण ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके, परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न, उसके लिए एक आदर्श दृष्टिकोण (model approach) — और फिर वह प्रश्न जो एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या एक संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को इसी मुद्दे पर वास्तव में हल करना पड़ेगा। यह अंतिम भाग वह है जिसे अधिकांश संकलन छोड़ देते हैं, और यही वह है जिसकी परीक्षा वास्तव में परख कर रही है।

दूसरा कारण सरल भी है और कठिन भी। बहुत से योग्य अभ्यर्थी ऐसे कारणों से पिछड़ जाते हैं जिनका क्षमता से कोई लेना-देना नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि कौन-से स्रोत महत्वपूर्ण हैं। वे अच्छी सामग्री तक नहीं पहुंच पाते, या उसका भुगतान नहीं कर सकते। वे हिंदी में पढ़ते हैं और पाते हैं कि किसी विषय का ईमानदार, वर्तमान और सुव्यवस्थित संस्करण केवल अंग्रेज़ी में मौजूद है। हमने यह देखा है, और हम इसे चीज़ों की स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। यूपीएससी दर्पण (UPSC Darpan) में कुछ भी भुगतान के पीछे नहीं है, और कुछ भी कोचिंग कक्षा (coaching class) मानकर नहीं चलता। हम हर सुबह जो कुछ भी पढ़ते हैं — समाचार पत्र, पीआईबी (PIB), पीआरएस (PRS), न्यायालय का अपना रिकॉर्ड, शोध पत्रिकाएं — उसे एक बार, ठीक से पढ़ा जाता है, और पूरी तरह सौंप दिया जाता है। किसी भी अभ्यर्थी को इसलिए पीछे नहीं रह जाना चाहिए कि वह कहां पैदा हुआ, उसका परिवार कितना कमाता है, या वह किस भाषा में सोचता है।

तीसरा कारण वह है जिसे हम बहुत ज़ोर से नहीं कहते। इस परीक्षा से जिस प्रकार के अधिकारी को तैयार करना है, उसका वर्णन बहुत पहले मसूरी (Mussoorie) में किया गया था, और तब से यह वर्णन बेहतर नहीं हुआ है: एक कर्मयोगी (Karma Yogi), एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। क्षमता, क्योंकि अक्षमता से लागू की गई अच्छी नीयत भी लोगों को नुकसान पहुंचाती है। गुमनामी, क्योंकि जिस अधिकारी का नाम हर हफ्ते अखबार में हो, वह अधिकारी आमतौर पर वह नहीं होता जिसका ज़िला काम कर रहा होता है। सादगी, क्योंकि अधिकारी के जीवन और नागरिक के जीवन के बीच की दूरी ठीक वही दूरी है जिस पर सहानुभूति (empathy) असफल हो जाती है। हम वहां नहीं हैं। लेकिन यही वह मानक है जिसके योग्य यह पत्रिका बनने का प्रयास कर रही है, और यही वह मानक है जिसके विरुद्ध हम आपसे तैयारी करने को कह रहे हैं — कट-ऑफ (cut-off) के विरुद्ध नहीं।

इसलिए इसे धीरे-धीरे पढ़ें। इसे खत्म करने की कोशिश न करें। तीन कार्ड लें, उन्हें इस हद तक समझें कि आप दोनों पक्षों में तर्क कर सकें, और एक उत्तर लिखें। यह पच्चीस कार्ड पढ़ने और किसी को भी याद न रखने से बेहतर सुबह है। और जब आप उस कमरे में बैठें, तो याद रखें कि वास्तव में आपका चयन किस लिए किया जा रहा है।

— संपादक (The Editor)

UPSC Darpan • 5 अक्टूबर 2026

हम मसूरी-वाला कर्मयोगी (Mussoorie-wala Karma Yogi) बनना चाहते हैं — एक ऐसा सिविल सेवक जिसकी आत्मा क्षमता (Ability), गुमनामी (Anonymity) और सादगी (Austerity) के सिद्धांतों से ओतप्रोत हो। और हम बनकर रहेंगे, मेरे दोस्त। (And we shall become, my man.)

हमारी प्रेरणा (Our Inspiration)

Our inspiration, and the reason this initiative exists



Rakesh Verma Sir

Indian Administrative Service, 1981 batch

Every initiative has a person standing behind it who never asked to be named. Ours is Rakesh Verma sir — an IAS officer of the 1981 batch, who spent a career inside the administration and then, after retiring from it, went back to the classroom to teach the next set of officers. What he gave us was not a strategy. It was a way of looking at the work.

उन्होंने हमें क्या सिखाया (WHAT HE TAUGHT US)

- 1. सेवा परमो धर्म: — service is the highest duty, and it is a duty, not a favour** — He would not let the word 'service' stay decorative. A civil servant does not confer a benefit on a citizen; the citizen is entitled, and the officer is discharging an obligation. Once you accept that, the tone of an office changes — the file moves because someone is waiting on the other side of it, not because a note demanded it.
- 2. The Mussoorie-wala Karma Yogi: Ability, Anonymity, Austerity** — Ability, because good intentions administered incompetently still hurt people. Anonymity, because the officer whose name is in the newspaper every week is usually not the officer whose district is working. Austerity, because the distance between the officer's life and the citizen's life is the distance at which empathy fails. He taught these three as one instruction, not three virtues to be picked from.
- 3. Begin with the last person, not the average person** — His constant test for any scheme, any circular, any decision: what happens to the person at the end of the line — the one with no documentation, no connection, no way to complain, and no idea the scheme exists. A policy that works for the median citizen and fails the last one has not worked. It has only been measured generously.
- 4. Reach the last mile, because the last mile is where the state actually is** — Delivery, he insisted, is not the boring part that follows policy; it is the policy. The budget line means nothing until the money reaches the panchayat, the entitlement means nothing until the beneficiary is on the list, and the list means nothing if the person who was left out has no way back onto it. He made us look at the exclusion errors, not the coverage numbers.
- 5. Understand the system before you criticise it** — He had no patience for the easy cynicism aspirants pick up online. Learn how a file actually moves, who signs, where the discretion sits, what the officer on the spot is trading off. Criticism that comes after that understanding is worth something; criticism that replaces it is noise — and it writes a shallow answer, too.
- 6. Karma yoga at the desk: do the work, stay with the work** — He taught the Gita's instruction as an administrator's working rule, not as a sermon. You control the effort and the honesty; you do not control the transfer order, the posting, the recognition or the result. An officer who needs the outcome to feel the work was worth it will not last a career. Nor will an aspirant who needs the result to justify the year.
- 7. Teach what you know, to whoever cannot pay for it** — The clearest thing he did was the simplest: after a full career, he went back and taught. Not to a selected batch that could afford it — to whoever turned up. That is where this initiative came from. The idea that good preparation material should not be a function of what a family can spend is not our idea; it is his.

We are not his equals and this is not his page. It is the receipt for something we were given for free, by a man who spent forty years serving the country and then spent his retirement teaching other people how to do it properly. सेवा परमो धर्म: — and we shall become.

आज के उद्धरण (Quotes of the Day)

निबंध (essay) की भूमिका में किसी एक उद्धरण को शामिल करें — हर अनुच्छेद में नहीं। प्रत्येक उद्धरण एक प्रलेखित स्रोत (documented source) से लिया गया है, ताकि इसे आत्मविश्वास से उद्धृत किया जा सके।

“स्वतंत्रता का इतिहास बहुत हद तक प्रक्रियात्मक रक्षा-उपायों के पालन का इतिहास रहा है।”

— न्यायमूर्ति फ्रेलक्स फ्रैंकफर्टर · *McNabb v. United States*, 318 U.S. 332 (1 मार्च 1943), न्यायालय की राय (पाठ कॉर्नेल लीगल इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट पर)

उपयोग करें (Use in): आज का निबंध, कारणों और वैधता पर। इसका उपयोग सामान्य अध्ययन-2 के उत्तरों में विधि की सम्यक् प्रक्रिया, नैसर्गिक न्याय और विधि के शासन पर, तथा स्वतंत्रता और राज्य पर निबंधों में कीजिए। नोटिस, सुनवाई और लिखित आदेश ही सत्ता को जवाबदेह बनाते हैं। इसे मेनका गांधी (1978) के साथ जोड़िए, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की “विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया” को निष्पक्ष, न्यायसंगत और युक्तियुक्त प्रक्रिया पढ़ा; और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(d) के साथ, जो प्रशासनिक निर्णयों के कारण बताने की बात करती है। संतुलन भी रखिए: प्रक्रिया कर्मकांड बन सकती है, इसलिए अधिक कागज़ी कार्रवाई नहीं, बल्कि पुनर्विलोकन-योग्य कारणों की वकालत कीजिए।

“क्योंकि विवेक वह विज्ञान या समझ है जिससे असत्य और सत्य के बीच, अनुचित और उचित के बीच, छद्मा और सार के बीच, न्याय और छद्मवेशी बहानों व दिखावटी तर्कों के बीच भेद किया जाता है, न कि अपनी इच्छाओं और निजी लगावों के अनुसार कार्य करना।”

— सर एडवर्ड कोक · *Rooke's Case* (1598) 5 Co Rep 99b (शब्दावली प्रशासनिक विवेकाधिकार पर विधिक विद्वत्ता में उद्धृत रूप के अनुसार)

उपयोग करें (Use in): नियम बनाम विवेकाधिकार के प्रश्न का केंद्र। इसका उपयोग सामान्य अध्ययन-2 के उत्तरों में प्रशासनिक विवेकाधिकार, मनमानेपन और न्यायिक पुनर्विलोकन पर, तथा सामान्य अध्ययन-4 में लोक सेवक की नैतिकता पर कीजिए: विवेक कारणों से मुक्ति नहीं, बल्कि सही कारण खोजने का कर्तव्य है। इसे ई.पी. रॉयप्पा (1974) के साथ जोड़िए, जिसमें मनमानेपन को समता का विरोधी कहा गया, और 2014 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोयला खंडों के आवंटन रद्द किए जाने के साथ। ध्यान रखिए कि कोक का यह विचार ही प्रशासनिक विधि में आधुनिक युक्तियुक्तता-पुनर्विलोकन की जड़ बना।

“सत्ता भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखती है और निरंकुश सत्ता पूरी तरह भ्रष्ट कर देती है।”

— लॉर्ड एक्टन · बिशप मैडेल क्रेइटन को पत्र, 5 अप्रैल 1887, *Historical Essays and Studies* (1907), पृ. 504 में प्रकाशित

उपयोग करें (Use in): निर्णयकर्ता पर अंकुश के पक्ष में तर्क। इसका उपयोग सामान्य अध्ययन-2 के उत्तरों में शक्ति-पृथक्करण, जवाबदेही और संस्थागत अभिकल्प पर, तथा सत्ता और विश्वास पर निबंधों में कीजिए। उसी पत्र में एक्टन ने लिखा कि हर धारणा सत्ताधारियों के विरुद्ध जाती है, और सत्ता जितनी बढ़ती है, यह उतनी ही प्रबल होती है; गहराई के लिए यह वाक्य उद्धृत कीजिए। इसे ए.डी.एम. जबलपुर (1976) में न्यायमूर्ति खन्ना की असहमति और कार्यपालिका की शक्ति पर संविधान सभा द्वारा रखे गए अंकुशों के साथ जोड़िए। वास्तविक प्रशासन में विवेकाधिकार की ज़रूरत से इसे संतुलित कीजिए: उत्तर जवाबदेही है, हर सत्ता पर अविश्वास नहीं।

अनुक्रमणिका (Index)

आज के अंक में सब कुछ, कार्ड दर कार्ड • पढ़ने का समय: लगभग 2 घंटे 5 मिनट

प्रारंभिक सामग्री (Front matter)

- संपादक की कलम से (A Letter from the Editor)
- हमारी प्रेरणा (Our Inspiration) — Rakesh Verma Sir
- आज के उद्धरण (Quotes of the Day)
- यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी खबरें

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

- 1.1 CAPF अधिनियम में IG के आधे पद प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित; अवमानना के मामले भी चुनौती के साथ जुड़े
- 1.2 निर्वाचन आयोग ने ERO को SIR नोटिस मामले बिना सुनवाई, यहाँ तक कि BLO के दस्तावेजों के बिना भी निपटाने की छूट दी
- 1.3 दिल्ली उच्च न्यायालय: वैध वीजा भारत में प्रवेश का कोई विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार नहीं देता

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

- 2.1 GST परिषद 7 अक्टूबर को गिरफ्तारी की शक्तियाँ हटाने और अटके इनपुट टैक्स क्रेडिट को मुक्त करने पर विचार करेगी
- 2.2 RBI की MPC की बैठक 5-7 अक्टूबर को, ET सर्वेक्षण में रेपो दर 25 आधार अंक बढ़कर 5.50% होने की उम्मीद
- 2.3 ITAT दिल्ली ने आयरिश कंपनी Fireeye को अप्रत्यक्ष शेयर हस्तांतरण पर कर से राहत दी, Tiger Global का दायरा सिकुड़ा

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

- 3.1 हथियों के बाव अल-मंदेब पर कब्जे के बाद यमन की सरकार ने हथी-नियंत्रित इलाके वापस लेने के लिए आक्रमण छोड़ा
- 3.2 बोगीबील से ढाका: डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए भारत की पहली जलमार्ग खेप

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

- 4.1 दिल्ली ने उत्तरी रिज के 112.3 हेक्टेयर को आरक्षित वन अधिसूचित किया, जबकि 2,073 हेक्टेयर धारा 20 से बाहर बना हुआ है

6. स्वास्थ्य एवं जीव विज्ञान (Health & Life Sciences)

- 5.1 रेबीज़: स्वास्थ्य मंत्रालय की निगरानी में 2024 में 54 मौतें दर्ज हुईं, जबकि ICMR-NIE का अनुमान प्रतिवर्ष 5,726 मौतों का है
- 5.2 फेफड़े का कैंसर भारत का सबसे बड़ा कैंसर-हत्यारा है, फिर भी राष्ट्रीय जाँच में केवल स्तन, मुख और गर्भाशय-ग्रीवा के कैंसर शामिल हैं

8. समाज (Society)

- 6.1 ओडिशा ने दिव्यांगजनों के उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकारों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश बनाए

7. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

- 7.1 पहले अग्निवीर बैच का चार वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के करीब आने पर सेवाओं ने अग्निपथ में सुधार के प्रस्ताव DMA को भेजे

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

- 9.1 केस 1 — अक्टूबर 1998 में आदेशित तलाशी: सही काम या सुरक्षित काम?
- 9.2 केस 2 — बूथ 173 के पहले से छपे फॉर्म: एक कनिष्ठ लिपिक, फॉर्म 7 और नाम कटवाने की राजनीति

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

- 10 13 परीक्षा-पैटर्न में एक-पंक्ति तथ्य (one-line facts in exam-pattern form)

11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

- 11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 1.1
- 11.2 GS1 कोना — Geography: अरावली पर्वतमाला और दिल्ली रिज: मरुस्थल के किनारे एक प्राचीन वलित पर्वत
- 11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें (3)
- 11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): नैतिक साहस (Moral courage)
- 11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

12. आज के निबंध (Essays of the Day)

- 12.1 कोई निर्णय उतना ही वैध है, जितने कारण उसका निर्णायक बताने को तैयार है।

यहाँ से शुरू करें — आज की 5 सबसे ज़रूरी खबरें

पूरी पत्रिका लगभग दो घंटे की है। समय कम हो तो पहले ये पाँच कार्ड पढ़ें।

1.2	निर्वाचन आयोग ने ERO को SIR नोटिस वाले मामले बिना सुनवाई के निपटाने की छूट दी क्यों ज़रूरी: GS2 चुनाव सुधार: प्रारंभिक परीक्षा के लिए अनुच्छेद 324, 326 और नैसर्गिक न्याय; मुख्य परीक्षा के लिए नाम कटने से बचाव के उपाय।
2.2	RBI की MPC की बैठक 5-7 अक्टूबर को; ET सर्वेक्षण में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की उम्मीद क्यों ज़रूरी: GS3 मौद्रिक नीति: प्रारंभिक परीक्षा के लिए धारा 45ZB, 45ZA और दर गलियारा; मुख्य परीक्षा के लिए आपूर्ति-आघात से उपजी मुद्रास्फीति।
4.1	हूथियों द्वारा बाब अल-मंदेब पर कब्जे के बाद यमन सरकार ने आक्रमण शुरू किया क्यों ज़रूरी: GS2 पश्चिम एशिया; GS3 ऊर्जा: प्रारंभिक परीक्षा के लिए जलडमरूमध्य का भूगोल और प्रस्ताव 2216; मुख्य परीक्षा के लिए भारत के दो अवरोध-बिंदु।
5.1	दिल्ली ने उत्तरी रिज के 112.3 हेक्टेयर को आरक्षित वन अधिसूचित किया क्यों ज़रूरी: GS3 पर्यावरण कानून: प्रारंभिक परीक्षा के लिए वन अधिनियम की धाराएँ 4, 20 और 29; मुख्य परीक्षा के लिए विलंबित संरक्षण।
6.1	रेबीज़ : 2024 में 54 दर्ज मौतें, जबकि ICMR का अनुमान 5,726 क्यों ज़रूरी: GS2 स्वास्थ्य: प्रारंभिक परीक्षा के लिए NAPRE, एक स्वास्थ्य (One Health) और MCCD; मुख्य परीक्षा के लिए आँकड़े और उन्मूलन लक्ष्य।

इस पत्रिका का उपयोग कैसे करें (How to use this magazine) — हर कहानी एक अध्ययन कार्ड (study card) है: क्या हुआ (समाचार / The News), यह पाठ्यक्रम के किस विषय पर बैठता है (स्थैतिक संबंध / Static Linkage), परीक्षक बार-बार इस विषय पर क्यों लौटते हैं (ट्रेंड / Trend), वे तथ्य जो प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के किसी विकल्प का फैसला कर सकते हैं (प्रारंभिक मुख्य तथ्य / Prelims Nuggets), एक बिंदुवार विश्लेषण (Analysis), परीक्षा की अपनी भाषा में एक मुख्य परीक्षा (Mains) प्रश्न एक आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) के साथ, और वे प्रश्न जिनका सामना एक ज़िला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) या संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को वास्तव में करना पड़ेगा। हर लंबे क्षेत्र को क्रमांकित बिंदुओं में विभाजित किया गया है, जिनका अपना शीर्षक है, ताकि तर्क केवल शीर्षकों से ही पढ़ा जा सके। जहां कोई कहानी प्रभावों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ती है, वहां पूरी श्रृंखला एक पंक्ति में दी जाती है इससे पहले कि बिंदु हर कड़ी को समझाएं।

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

आज की तीनों खबरें एक ही प्रश्न पृच्छती हैं: विवेकाधीन शक्ति की सीमा कहाँ आती है। संसद ने केंद्र को CAPF की सेवा-नियमावली बनाने का अधिकार दे दिया है, भले ही सर्वोच्च न्यायालय का 2025 का निर्णय कुछ और कहता हो, और अब न्यायालय को तय करना है कि यह कितना उचित है। निर्वाचन आयोग ने अपने अधिकारियों को यह छूट बढ़ा दी है कि वे मतदाता को सुने बिना उसके नाम पर निर्णय ले सकें। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि वीजा यात्रा की अनुमति है, भारत में प्रवेश का अधिकार नहीं। तीनों मामलों में सवाल यही है कि जिसके हाथ में विवेक की शक्ति है, उस पर निगरानी कौन रखेगा।

1.1 CAPF अधिनियम में IG के आधे पद प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित; अवमानना के मामले भी चुनौती के साथ जुड़े

मुद्दा CAPF cadre and IPS deputation (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** केंद्र और राज्य • स्वतंत्रता और जवाबदेही

अब तक की कहानी एक दशक से पाँच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अपने समूह 'क' अधिकारी कहते रहे हैं कि IPS प्रतिनियुक्ति उनकी पदोन्नति रोकती है। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय (2015) में गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन (Non-Functional Financial Upgradation) जीता, जिसे सर्वोच्च न्यायालय (2019) ने बरकरार रखा।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयाँ और न्यायमूर्ति ए. एस. चंदुरकर की सर्वोच्च न्यायालय पीठ को 29 सितंबर को अवमानना याचिकाओं की सुनवाई करनी थी, जिनमें आरोप है कि केंद्र ने CAPF कैडर अधिकारियों की कैरियर प्रगति और IPS प्रतिनियुक्ति पर न्यायालय के 23 मई, 2025 के निर्णय की अवहेलना की। गृह मंत्रालय को बताना था कि “प्रगतिशील रूप से घटाने” के निर्देश के बावजूद 46 IPS अधिकारी क्यों लाए गए। मामला सूची से हटा दिया गया और 30 सितंबर को न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति भुइयाँ की विशेष पीठ के पास गया, क्योंकि केंद्र ने मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया कि इसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम [Central Armed Police Forces (General Administration) Act] की एक अलग चुनौती के साथ सुना जाए, ऐसा द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। यह अधिनियम महानिरीक्षक (IG) के 50% पद, अपर महानिदेशक के कम से कम 67% पद और विशेष महानिदेशक तथा महानिदेशक के सभी पद प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित करता है, और नियम बनाने की प्रक्रिया को किसी विपरीत निर्णय के होते हुए भी (“notwithstanding”) लागू रखता है। अवमानना का अर्थ है न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

कैडर अधिकारियों को वित्तीय उन्नयन मिला पर शीर्ष पर अटके रहे → सर्वोच्च न्यायालय का मई 2025 का निर्णय: IPS प्रतिनियुक्ति क्रमशः घटाई जाए → फिर भी 46 IPS अधिकारी लाए गए → संसद ने वरिष्ठ पद आरक्षित करने वाला CAPF अधिनियम पारित किया → अवमानना के मामले और चुनौती एक ही पीठ के पास

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. पुलिस राज्य सूची का विषय है, पर संघ अपने सशस्त्र बल स्वयं खड़े करता और नियंत्रित करता है — सूची II की प्रविष्टि 2 राज्यों को पुलिस पर अधिकार देती है। संघ के अपने सशस्त्र बल सूची I पर आधारित हैं, और सूची I की प्रविष्टि 2 संघ को सिविल शक्ति की सहायता में उन्हें किसी राज्य में तैनात करने देती है। इसीलिए CAPF के कैडर संबंधी नियम केंद्र बनाता है। 2. IPS अखिल भारतीय सेवा है, इसलिए उसके अधिकारी केंद्र को उधार दिए जा सकते हैं — अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (All India Services Act, 1951) अनुच्छेद 312 को प्रभावी बनाता है। IPS अधिकारी किसी राज्य कैडर का होता है और राज्य की सहमति से ही प्रतिनियुक्ति पर केंद्र जाता है। CAPF के अपने अधिकारी, जो सहायक कमांडेंट के रूप में भर्ती होते हैं, केंद्रीय सेवा के हैं, इसलिए प्रतिनियुक्ति का हर पद उनके लिए एक पदोन्नति कम है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. अवमानना और विधायी अधिभावी प्रावधान शक्तियों के पृथक्करण की कसौटी हैं — GS2 में “कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली” पृच्छी जाती है। जो कानून कहे कि नियम किसी निर्णय के बावजूद लागू होंगे, उसकी परीक्षा इसी खंड में होगी।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाता है और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति देता है। ● अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। ● अनुच्छेद 312 के अधीन संसद अखिल भारतीय सेवा तब बना सकती है जब राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करे।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. कानून किसी निर्णय का आधार हटा सकता है, पर न्यायालय से आँख मूंद लेने को नहीं कह सकता — निर्णय में पाई गई कमी को संसद दूर कर सकती है और नए कानून को न्यायालय के सामने नए सिरे से परखने के लिए छोड़ सकती है। पर वह यह घोषित नहीं कर सकती कि कोई निर्णय किसी पर बाध्यकारी नहीं है। “notwithstanding” की भाषा दूसरी बात जैसी लगती है, और पीठ को बताना होगा कि यह कौन-सी है। यदि अधिनियम टिक गया तो अवमानना का मामला कमजोर पड़ेगा।

	2. केंद्र का प्रशासनिक तर्क है, तो कैडर का निष्पक्षता का तर्क भी है — गृह मंत्रालय कहता है कि राज्यों में भेजे गए बलों को राज्य पुलिस से जोड़ने के लिए IPS अधिकारी चाहिए, जबकि राज्य उन्हें छोड़ने में देर करते हैं। कैडर अधिकारी कहते हैं कि इससे हर महानिदेशक पद को बाहर से भरना उचित नहीं ठहरता। 3. दृष्टि — स्वतंत्रता और जवाबदेही: कौन-सी पीठ सुने, यह चुनना भी न्यायिक स्वतंत्रता का हिस्सा है — कौन-सी पीठ बैठेगी, यह मुख्य न्यायाधीश तय करते हैं, और उन्होंने अवमानना के मामले केंद्र के अनुरोध पर स्थानांतरित किए, जबकि CAPF के वकीलों ने कहा था कि ये अलग मामले हैं। जब अवमानना का आरोपी पक्ष ही मंच माँगे, तो न्यायालय को लिखित कारण देने चाहिए, ताकि उसकी स्वतंत्रता मान ली न जाए बल्कि दिखाई दे।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“जो कानून किसी निर्णय के प्रभाव को उसका विधिक आधार हटाए बिना निरस्त करता है, वह शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर करता है।” CAPF (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — दोनों पक्ष रखिए, दावे को सिद्धांत की कसौटी पर परखिए और अपना मत बनाइए। 2. भूमिका — 2025 का निर्णय, 2026 का अधिनियम — प्रतिनियुक्ति घटाने का निर्देश और IG के 50%, अपर महानिदेशक के 67% तथा सभी महानिदेशक पदों का आरक्षण बताइए। 3. मुख्य भाग — संसद कानून बदल सकती है, निर्णय को निष्प्रभावी नहीं कर सकती — मूल्यवर्धन: विधिमान्यकरण कानून की कसौटी, कि विधायिका न्यायालय द्वारा पाई गई कमी को दूर कर सकती है। 4. मुख्य भाग — केंद्र का परिचालन संबंधी पक्ष वजनदार है, पर हर शीर्ष पद की छूट नहीं देता — राज्य पुलिस से संपर्क; राज्यों की अधिकारी छोड़ने में अनिच्छा; कैडर में ठहराव। 5. मुख्य भाग — अवमानना मामले और चुनौती के लिए अलग-अलग तर्क चाहिए — प्रवाह-चित्र बनाइए: निर्णय, अधिनियम, अवमानना याचिका, चुनौती, और यह दर्शाइए कि कौन किस पर निर्भर है। 6. निष्कर्ष — अल्पांश कोटा और प्रकाशित कैडर समीक्षा — प्रतिनियुक्ति का हिस्सा अधिभावी खंड से नहीं, नियमों से तय हो।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. गृह सचिव के रूप में, न्यायालय में मामला विचाराधीन रहते हुए आप कैडर की शिकायत का क्या उत्तर देंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं निर्णय की प्रतीक्षा नहीं करूँगा। मैं एक कैडर समीक्षा प्रकाशित करूँगा जिसमें दिखे कि हर धारा के पास कितने वरिष्ठ पद रहे हैं, और अधिनियम के भीतर पदोन्नति का स्पष्ट नियम तय करूँगा। मैं राज्यों से कहूँगा कि वे IPS अधिकारियों को छोड़ने की समय-सारणी पर प्रतिबद्ध हों।

1.2 निर्वाचन आयोग ने ERO को SIR नोटिस मामले बिना सुनवाई, यहाँ तक कि BLO के दस्तावेजों के बिना भी निपटाने की छूट दी

सूदा मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) (कडी 11) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और व्यवस्था • स्वतंत्रता और जवाबदेही

अब तक की कहानी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में हर मतदाता का पुनः सत्यापन होता है। फॉर्म 7 पर थोक आपत्तियों के बाद निर्वाचन आयोग ने जाँच का आदेश दिया, और 29 सितंबर के पत्र में जहाँ SIR पूरा हो चुका है वहाँ छूटे मतदाताओं के लिए विशेष फॉर्म 6 अभियान का निर्देश दिया।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने अपने मतदाता-सूची प्रबंधन सॉफ्टवेयर ERONET में, SIR के नोटिस चरण वाले 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ERO) के लिए तीन नए विकल्प जोड़े हैं, द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, जो 1 अक्टूबर को रिकॉर्ड और 4 अक्टूबर को दिल्ली के ERO को दिखाए गए आयोग के एक वीडियो पर आधारित है, कोई लिखित निर्देश नहीं है। “ताकिक विसंगति” या “मैपिंग नहीं” वाले मतदाताओं के लिए ERO “सुनवाई के बिना” या “सुनवाई के साथ” चुन सकता है। जहाँ बूथ स्तर अधिकारी (BLO) ने दस्तावेज अपलोड किए हैं, वहाँ ERO सुनवाई के आदेश के बिना मतदाता को “ठीक पाया गया” चिह्नित कर सकता है; जहाँ कोई दस्तावेज नहीं जुटाया गया, वहाँ भी ERO सुनवाई का आदेश अपलोड करके मतदाता को पात्र चिह्नित कर सकता है। पहले सुनवाई का आदेश केवल मतदाता को अपात्र चिह्नित करने के लिए चाहिए था, और अपात्र का चिह्न पलटा नहीं जा सकता। दिल्ली में 33.1 लाख नोटिस जारी हुए, 350 से अधिक मतदाता अपात्र चिह्नित किए गए, नोटिस चरण 30 नवंबर को समाप्त होगा और अंतिम सूची 4 दिसंबर को आनी है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

SIR हर मतदाता का पुनः सत्यापन करता है → मसौदा सूची में “भैपिंग नहीं” और “तार्किक विसंगतियाँ” चिह्नित → नौ करोड़ से अधिक नोटिस भेजे गए → सबकी सुनवाई धीमी साबित हुई → आयोग ने बिना सुनवाई मामले निपटाने के विकल्प जोड़े

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. अनुच्छेद 324 आयोग को मतदाता सूची का नियंत्रण देता है; अनुच्छेद 326 हर वयस्क को मताधिकार — अनुच्छेद 324(1) मतदाता सूचियों की तैयारी का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित करता है। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार देता है, इसलिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हर वह नागरिक, जो अयोग्य नहीं है, पंजीकृत हो सकता है। प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) की धारा 21 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 में दी गई है। 2. नैसर्गिक न्याय में नाम काटने से पहले सुनवाई आवश्यक है — ‘audi alteram partem’, यानी “दूसरे पक्ष को भी सुना जाए”, का अर्थ है कि किसी को सूचना और उत्तर का अवसर दिए बिना उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा सकता। लाल बाबू हुसैन बनाम निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (1995) में सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता पर संदेह के आधार पर सूची से हटाए गए नामों पर विचार किया और मतदाता को निष्पक्ष अवसर देने पर बल दिया।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. मतदाता सूची का पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता की परीक्षा है — GS2 में “लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ” और “सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय” पूछे जाते हैं। ERO का सुनवाई करने का दायित्व ऐसा ही प्रक्रियागत प्रश्न है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अनुच्छेद 324 मतदाता सूचियों और चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित करता है। ● अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए 18 वर्ष की मतदान आयु के साथ वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। ● निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन सूची तैयार और संशोधित करते हैं। ● ‘audi alteram partem’ नैसर्गिक न्याय के दो स्तंभों में से एक है; दूसरा यह है कि कोई अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. नए विकल्प सुनवाई छोड़ने की छूट उस दिशा में भी देते हैं जो मतदाता के हित में है और उसमें भी जो हानि पहुँचाती है — सुनवाई के बिना मतदाता को सूची में रखने से उन लोगों के हफ़ते बचते हैं जिनके दस्तावेज़ ठीक हैं। पर “बिना सुनवाई” का विकल्प कमज़ोर कागज़ात वाले मतदाता के लिए भी खुला है, और अपात्र का चिह्न वापस नहीं हो सकता। निष्पक्ष व्यवस्था में समावेशन का त्वरित मार्ग रहे और नाम हटाने से पहले दर्ज की गई सुनवाई अनिवार्य हो। 2. वीडियो से दिए गए निर्देश अधिकारी के कंधों पर ऐसा नियम डाल देते हैं जिसे किसी ने लिखा नहीं — एक ERO ने द हिंदू को बताया कि दिशा-निर्देश बार-बार बदले, कुछ मौखिक थे, और अधिकारियों से पहले “संदिग्ध विदेशी” पहचानने को कहा गया, फिर मना कर दिया गया। ERO का निर्णय अर्ध-न्यायिक होता है और उसके लिए ऐसा लिखित प्राधिकार चाहिए जिसे अपील में पढ़ा जा सके। 3. दृष्टि — स्वतंत्रता और जवाबदेही: स्वतंत्र आयोग की भी जाँच संभव होनी चाहिए — आयोग की स्वतंत्रता उसे अपनी समय-सारणी स्वयं तय करने देती है, पर स्वतंत्र निकाय को भी जाँच के लिए खुला रहना चाहिए। लिखित निर्देश, हर नाम कटने का बताया गया कारण और अपील ही ऐसी बड़ी शक्ति को जवाबदेह बनाते हैं। एक विचारशील अधिकारी सबसे पहले इन्हीं का आग्रह करेगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	परीक्षण कीजिए कि SIR नोटिस मामले निपटाने के लिए निर्वाचन आयोग के नए ERONET विकल्प नैसर्गिक न्याय के अनुरूप हैं या नहीं। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — विकल्पों को नैसर्गिक न्याय की कसौटी पर परखिए और तर्कसंगत मत दीजिए। 2. भूमिका — तीन विकल्प, सुनवाई की आवश्यकता नहीं — अनुच्छेद 324 और 1950 अधिनियम की धारा 21 का उल्लेख कीजिए। 3. मुख्य भाग — बिना सुनवाई मतदाता को सूची में रखना हानिरहित है; नाम हटाना नहीं — ‘audi alteram partem’ उसकी रक्षा करता है जिसका कुछ छिन सकता है। 4. मुख्य भाग — कमज़ोर कड़ी है अपरिवर्तनीयता और अलिखित आदेश — मूल्यवर्धन: लाल बाबू हुसैन (1995); नोटिस, सुनवाई, आदेश, अपील का प्रवाह-चित्र बनाइए।

	5. निष्कर्ष — समावेशन के लिए त्वरित मार्ग, बहिष्करण के लिए लिखित सुनवाई — लिखित निर्देश जारी हों और नाम हटाए जाने के विरुद्ध अपील की अनुमति हो।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. 60,000 नोटिस और समय-सीमा के साथ ERO के रूप में, आप कैसे तय करेंगे कि किसे सुनवाई के लिए बुलाना है? दृष्टिकोण (Approach): मैं पहले उन सभी मतदाताओं को निपटाऊंगा जिनके BLO दस्तावेज़ ठीक हैं, क्योंकि उनके लिए सुनवाई से कुछ नहीं जुड़ता। जिस मतदाता को मैं अपात्र चिह्नित करने की ओर झुका हूँ, उसे बुलाऊंगा और निर्णय से पहले अपने कारण दर्ज करूंगा, क्योंकि चिह्न में पलट नहीं सकता। मैं आयोग से उसका निर्देश लिखित में देने का अनुरोध भी करूंगा।

1.3 दिल्ली उच्च न्यायालय: वैध वीज़ा भारत में प्रवेश का कोई विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार नहीं देता

मुद्दा Foreigners, entry and the 2025 Act (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** विधि का शासन और विवेकाधिकार • स्वतंत्रता और व्यवस्था

अब तक की कहानी संसद ने आप्रवासन और विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 (Immigration and Foreigners Act, 2025) 27 मार्च और 2 अप्रैल, 2025 को पारित किया, जिसने विदेशी अधिनियम, 1946 और तीन अन्य अधिनियमों का स्थान लिया। इसकी धारा 7 केंद्र को प्रवेश विनियमित या प्रतिबंधित करने देती है।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अमित महाजन ने 30 सितंबर को तुर्कमेनिस्तान की एक नागरिक की याचिका खारिज कर दी, जो अश्गाबात में जारी वैध व्यावसायिक वीज़ा पर 25 मार्च को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी थीं और उसी दिन वापस भेज दी गई, जबकि उसी उड़ान से आए उनके पति को प्रवेश मिला। उनका तर्क था कि उन्हें कारण नहीं बताए गए और यह अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। केंद्र ने सुरक्षा और लोक व्यवस्था पर “प्रतिकूल सूचनाओं” का हवाला दिया, और न्यायालय ने सीलबंद लिफाफे की सामग्री (केवल न्यायाधीश को दिखाए गए कागज़) देखी, जिसमें उनके ब्योरो में विसंगतियाँ, व्यावसायिक कार्ड या आमंत्रण पत्र का अभाव, और चिकित्सा तथा व्यावसायिक वीज़ा पर उनकी यात्रा का उल्लेख था। न्यायालय ने कहा कि किसी विदेशी नागरिक का “भारत में प्रवेश माँगने का कोई अंतर्निहित या विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार नहीं है”, कि वीज़ा, प्रवेश की अनुमति और आप्रवासन मंजूरी अलग-अलग बातें हैं, और विधिक अधिकार के बिना अनुच्छेद 226 के अधीन रिट नहीं बनती, द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

विदेशी अधिनियम, 1946 केंद्र को प्रवेश पर शक्ति देता है → हंस मुलर (1955) व्यापक विवेकाधिकार को मान्य करता है → लुई डी रेडट (1991) विदेशियों के अधिकार अनुच्छेद 21 तक सीमित करता है → आप्रवासन और विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 1946 का अधिनियम निरस्त करता है पर शक्ति बनाए रखता है → दिल्ली उच्च न्यायालय इसे हवाई अड्डे से लौटाई गई वीज़ाधारक पर लागू करता है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. कुछ मूल अधिकार सबको मिलते हैं, कुछ केवल नागरिकों को — अनुच्छेद 14 और 21 किसी भी “व्यक्ति” की रक्षा करते हैं, इसलिए विदेशी भी उनका सहारा ले सकता है। अनुच्छेद 19(1) (ड), यानी भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार, केवल नागरिकों के लिए है। लुई डी रेडट बनाम भारत संघ (1991) में, जैसा द हिंदू लिखता है, विदेशी के मूल अधिकार अनुच्छेद 21 तक सीमित हैं। 2. विदेशियों पर राज्य की शक्ति व्यापक है, और 2025 का अधिनियम उसे जारी रखता है — हंस मुलर ऑफ़ न्युरेनबर्ग बनाम अधीक्षक, प्रेसिडेंसी जेल (1955) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विदेशी अधिनियम, 1946 केंद्र को विदेशियों पर, निष्कासन सहित, व्यापक विवेकाधिकार देता है। 2025 का अधिनियम उस अधिनियम, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939 और आप्रवासन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 को निरस्त करता है और PRS के अनुसार आप्रवासन ब्यूरो की स्थापना करता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. विदेशियों का प्रवेश संप्रभुता को विवेकाधिकार की सीमाओं से जोड़ता है — GS2 में “मूल अधिकार” और “सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप” आते हैं। यह निर्णय कि सीमा नियंत्रण विवेकाधिकार है, जिसकी जाँच केवल अनुच्छेद 21 के न्यूनतम मानक से होती है, एक तैयार तर्क है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● अनुच्छेद 19(1)(ड) भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार केवल नागरिकों को देता है। ● अनुच्छेद 14 और 21 भारतीय क्षेत्र में मौजूद किसी भी व्यक्ति पर लागू होते हैं, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी। ● आप्रवासन और विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 के अनुसार विदेशी के पास भारत में प्रवेश के लिए वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ और वैध वीज़ा होना आवश्यक है।

विश्लेषण (ANALYSIS)	1. वीजा सीमा पर पहुँचने की अनुमति है, प्रवेश का वचन नहीं — दूतावास कागजात के आधार पर पहले से वीजा देता है; आप्रवासन अधिकारी हवाई अड्डे पर व्यक्ति और तथ्यों से रूबरू होता है। न्यायालय इन्हें दो अलग निर्णय मानता है, और दूसरा पहले से भिन्न हो सकता है। 2. अनुच्छेद 14 का दावा इसलिए विफल हुआ कि समानता के लिए व्यक्तियों का हर प्रासंगिक पहलू में समान होना आवश्यक है — दोनों पति-पत्नी के पास एक ही वीजा था, पर केंद्र ने कहा कि प्रतिकूल सूचनाएँ केवल पत्नी से संबंधित थीं। अनुच्छेद 14 समानों के साथ असमान व्यवहार को रोकता है, उनके साथ नहीं जिनके तथ्य भिन्न हैं। वह उन तथ्यों को परख नहीं सकती थीं, क्योंकि वे सीलबंद लिफाफे में थे। 3. दृष्टि — विधि का शासन और विवेकाधिकार: प्रवेश पर व्यापक शक्ति वैध है, पर निरोध के लिए कानून चाहिए — झारखंड उच्च न्यायालय ने 1 अक्टूबर को पृच्छा कि बांग्लादेशी मानी गई जामताड़ा की एक महिला सजा पूरी करने के बाद भी हजारीबाग के विदेशी निरोध केंद्र में “किस विधि के प्राधिकार” से रखी गई है, जबकि जुलाई में एक न्यायालय ने उन्हें विदेशी अधिनियम के तहत बरी कर दिया था, द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार। एक विचारशील अधिकारी द्वार पर विवेकाधिकार स्वीकार करेगा और निरोध के हर दिन के लिए दर्ज विधिक आदेश का आग्रह करेगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“वीजा होने से भारत में प्रवेश का अधिकार नहीं बनता।” आप्रवासन और विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 और पूर्व-निर्णयों के आलोक में परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — कथन को कानून और मामलों की कसौटी पर परखिए; बताइए कि विवेकाधिकार कहाँ रुकता है। 2. भूमिका — दिल्ली उच्च न्यायालय का 30 सितंबर का निर्णय — वीजा, अनुमति और मंजूरी अलग-अलग हैं। 3. मुख्य भाग — प्रवेश पर संप्रभुता स्थापित विधि है — हंस मुलर (1955), 2025 अधिनियम की धारा 7, अनुच्छेद 19(1)(ड) केवल नागरिकों के लिए। 4. मुख्य भाग — विदेशी के पास अनुच्छेद 21 और निष्पक्ष प्रक्रिया रहती है, पर सीलबंद लिफाफा चुनौती को सीमित करता है — मूल्यवर्धन: लुई डी रेडट (1991)। 5. मुख्य भाग — इनकार के लिए दर्ज कारण चाहिए, भले ही वे केवल न्यायालय से साझा हों — तालिका बनाइए: वीजा, मंजूरी, इनकार, रिट समीक्षा। 6. निष्कर्ष — शक्ति रखिए, कारण और समीक्षा जोड़िए — अधिनियम के अंतर्गत नियमों में लिखित कारण और समयबद्ध समीक्षा अनिवार्य हो।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप्रवासन अधिकारी के रूप में आपको खुफिया सूचना पर वैध वीजा वाले यात्री को लौटाने को कहा जाता है। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं केवल उसी आदेश के माध्यम से कार्य करूँगा जिसकी कानून अनुमति देता है और आधार दर्ज करूँगा, भले ही ब्योरा साझा न कर सकूँ। मैं यात्री के साथ गरिमा से पेश आऊँगा, उन्हें अपने दूतावास से संपर्क करने दूँगा और विधिक आधार के बिना रोककर नहीं रखूँगा।

2. अर्थव्यवस्था (Economy)

आज की तीनों खबरें इस सवाल पर टिकी हैं कि राज्य (State) कारोबार पर कितना सख्त दबाव डालता है और क्या उससे पहले नियम साफ़ हैं। GST परिषद (GST Council) 7 अक्टूबर को तय करेगी कि गिरफ्तारी की शक्तियाँ और अटका हुआ कर-क्रेडिट छोड़कर क्या डेटा-आधारित भरोसे का रास्ता अपनाया जाए। RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) एक ऐसे तेल-झटके को तौल रही है जिस पर उसका बस नहीं, जबकि रुपये और बॉण्ड बाज़ार पर उसका बस है। और एक कर अधिकरण ने दिखाया है कि संधि का एक अपरिभाषित शब्द भी तय कर सकता है कि विदेशी पूँजी कितना कर चुकाए। तीनों मामलों में नियमों की निश्चितता उतनी ही मायने रखती है जितनी सुखी वाली दरा।

2.1 GST परिषद 7 अक्टूबर को गिरफ्तारी की शक्तियाँ हटाने और अटके इनपुट टैक्स क्रेडिट को मुक्त करने पर विचार करेगी

मुद्दा जीएसटी राजस्व और उसकी संरचना (कडी 2) **दृष्टि (Lens)** केंद्र और राज्य • बाज़ार और राज्य

अब तक की कहानी GST जुलाई 2017 से लागू है और 2025 में इसकी दरें घटाई गईं। सितंबर 2026 में सकल संग्रह 14.7% बढ़ा, पर राजस्व में आयात का रिकॉर्ड 32.2% हिस्सा रहा। परिषद की बैठक 7 अक्टूबर को है।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार GST परिषद बुधवार, 7 अक्टूबर को GST प्रक्रिया के “व्यापक सुधार” पर विचार करने बैठ रही है। ये प्रस्ताव हैं, फैसले नहीं; ET का कहना है कि केंद्र और राज्यों के अधिकारी नौ महीने से इन पर “बारीकी से” चर्चा कर चुके हैं। इनमें GST कानून के तहत गिरफ्तारी की शक्तियाँ हटाना, अभियोजन की सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ करना और संयंत्र, मशीनरी तथा इनपुट सेवाओं पर चुकाए गए कर की वापसी पाँच वर्षों में करना शामिल है। इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) वह कर है जो खरीद पर चुकाया जाता है और बिक्री पर वसूले गए कर में से घटाया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में लिखे लेख में बताया कि अप्रैल-सितंबर 2026 में सकल संग्रह ₹12.46 लाख करोड़ रहा, जो 11.6% अधिक है, और अक्टूबर 2025 से जुलाई 2026 के बीच दर्ज करयोग्य आपूर्ति 25.8% बढ़ी।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

सितंबर 2025 की दर-कटौती से दर्ज बिक्री बढ़ी → संग्रह दो अंकों में बढ़ा → ध्यान दरों से हटकर प्रक्रिया पर गया : रिटर्न, वापसी, क्रेडिट विवाद → केंद्र-राज्य अधिकारियों की नौ महीने की बातचीत → परिषद की बैठक 7 अक्टूबर को

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. GST परिषद में केंद्र अकेले किसी फैसले को रोक सकता है, पर उसके बिना कोई फैसला नहीं हो सकता — 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 279A संघ के वित्त मंत्री को अध्यक्ष बनाता है; केंद्रीय राज्य मंत्री और हर राज्य का वित्त मंत्री सदस्य होते हैं। भारत मतों में एक-तिहाई केंद्र का और दो-तिहाई राज्यों का होता है, और निर्णय के लिए तीन-चौथाई बहुमत चाहिए। Union of India v. Mohit Minerals (2022) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परिषद की सिफारिशें प्रेरक (persuasive) हैं, बाध्यकारी नहीं। 2. CGST अधिनियम की धारा 16 इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति देती है और धारा 17(5) उसका कुछ हिस्सा रोकती है — केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम (CGST Act), 2017 के तहत कारोबारी इनपुट पर क्रेडिट मिलता है, पर अन्य शर्तों के साथ यह तभी जब आपूर्तिकर्ता ने कर जमा किया हो। धारा 17(5) में “अवरुद्ध क्रेडिट” (blocked credits) गिनाए गए हैं, जैसे बाहरी खान-पान, स्वास्थ्य सेवाएँ और 13 व्यक्तियों तक की बैठक क्षमता वाले वाहन, कुछ अपवादों के साथ।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GST में GS3 का संसाधन-संग्रहण और GS2 का संघीय ढाँचा, दोनों आकर मिलते हैं — GS3 की पंक्ति है “भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, संवृद्धि, विकास तथा रोज़गार से संबंधित मुद्दे”।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● 101वें संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 279A GST परिषद का गठन करता है; भारत मतों में केंद्र का एक-तिहाई और राज्यों का दो-तिहाई हिस्सा है, और निर्णयों के लिए तीन-चौथाई बहुमत चाहिए। ● CGST अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) उन “अवरुद्ध क्रेडिट” की सूची देती है जिन पर कारोबार में उपयोग के बावजूद इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता। ● CGST अधिनियम की धारा 69 निर्दिष्ट अपराधों में गिरफ्तारी का अधिकार देती है; धारा 132 चोरी किए गए कर से जुड़े स्तरों के अनुसार दंड तय करती है। ● Union of India v. Mohit Minerals (2022) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि GST परिषद की सिफारिशें संसद या राज्य विधायिकाओं पर बाध्यकारी नहीं हैं।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. ईमानदार खरीदार को क्रेडिट रखने देने से धोखाधड़ी की कीमत उस पक्ष पर जाती है जो उसे उठाने की सबसे अच्छी स्थिति में है — आज अगर श्रृंखला में ऊपर बैठा आपूर्तिकर्ता कर जमा नहीं करता, तो खरीदार क्रेडिट गँवाता है और नोटिस से जूझता है, जिसे ET मुकदमेबाज़ी की

	एक प्रमुख वजह बताता है। प्रस्ताव में खरीदार क्रेडिट रखेगा और विभाग चूककर्ता के पीछे जाएगा, क्योंकि अब चालानों का मिलान एक-एक कर होता है। इसके विरुद्ध तर्क यह है कि “सदभावी” (bona fide) होना एक आकलन का विषय है, इसलिए विवाद खिसककर खरीदार की नेकनीयती पर जा सकता है। 2. अटका क्रेडिट छोड़ना बिना नई सब्सिडी के पूँजी को गति देना है — खाद्य, दवा, कपड़ा और इलेक्ट्रिक वाहन समेत 5% वाले कई माल पर इनपुट का कर तैयार माल के कर से ऊँचा है, यानी उलटी शुल्क संरचना (inverted duty structure), इसलिए क्रेडिट जमा होकर बेकार पड़ा रहता है। EY के विपिन सापरा इस सुधार को “नई सब्सिडी बनाए बिना PLI योजना जैसा पूँजीगत व्यय प्रोत्साहन” कहते हैं। ET ने राजस्व-लागत का कोई आँकड़ा नहीं छापा है। 3. दृष्टि — केंद्र और राज्य : प्रक्रियात्मक सुधार तभी असली है जब हर विधायिका उसे अपनाए — हर राज्य का अपना SGST अधिनियम है जो केंद्रीय कानून की नकल करता है, इसलिए गिरफ्तारी की शक्तियाँ हटाने का असर तभी होगा जब संसद और हर राज्य विधायिका संशोधन करे। तेज़ वापसी की लागत भी राज्य उठाते हैं, हालाँकि सीतारमण का कहना है कि अप्रैल-सितंबर में उनकी SGST प्राप्तियाँ लगभग 16% बढ़ीं। एक सुविज्ञ अधिकारी विज्ञप्ति को नहीं, राज्यों के संशोधनों को देखेगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	परीक्षण कीजिए कि प्रस्तावित GST प्रक्रिया-सुधार अवरुद्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की समस्या को कैसे हल्का करते हैं और राज्यों से क्या अपेक्षा रखते हैं। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — तौलिए कि सुधार कारोबार को क्या देते हैं और केंद्र तथा राज्यों से क्या माँगते हैं। 2. प्रस्तावना — GST परिपक्व हो चुका है, इसलिए अगला लाभ प्रक्रिया में है — 2025 की दर-कटौती और 7 अक्टूबर के एजेंडे का उल्लेख कीजिए। 3. मुख्य भाग — अटका क्रेडिट वह कारोबारी पूँजी है जो राज्य के पास रुकी है — उलटी शुल्क संरचना में वापसी से कार्यशील पूँजी मुक्त होती है। आरेख : आपूर्तिकर्ता से खरीदार तक की श्रृंखला, जिसमें दिखे कि क्रेडिट कहाँ टूटता है। 4. मुख्य भाग — वास्तविक खरीदार को राहत और अपराधमुक्ति डर की जगह डेटा पर भरोसा रखती है — चालान-मिलान से अधिकारी चूककर्ताओं का पीछा कर सकते हैं; पर प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो सकती है। 5. मुख्य भाग — राजस्व की लागत राज्य उठाते हैं और उन्हें कानून अपनाना होगा — मूल्य-वर्धन : अनुच्छेद 279A का तीन-चौथाई नियम; Mohit Minerals (2022)। 6. निष्कर्ष — राजकोषीय लागत प्रकाशित कीजिए और हर SGST अधिनियम में संशोधन कीजिए — सफलता का पैमाना कम नोटिस और तेज़ वापसी हो।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप GST आयुक्त हैं। गिरफ्तारी की शक्तियाँ वापस ली जा रही हैं और अधिकारियों को डर है कि फ़र्जी चालान की धोखाधड़ी बढ़ेगी। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं प्रयास को गिरफ्तारी से हटाकर डेटा पर ले जाऊँगा। चालान-मिलान और जोखिम-आकलन से फ़र्जी आपूर्तिकर्ता को शुरू में ही पकड़ा जा सकता है, और वसूली कुकी तथा दीवानी कार्रवाई से हो सकती है। चोरी में कोई वृद्धि दिखे तो मैं बोर्ड को बताऊँगा, ताकि ढाँचा साक्ष्य के आधार पर सुधारा जाए।

2.2 RBI की MPC की बैठक 5-7 अक्टूबर को, ET सर्वेक्षण में रेपो दर 25 आधार अंक बढ़कर 5.50% होने की उम्मीद

सूदा मुद्रास्फीति, ब्याज दरें और RBI (कडी 8) **दृष्टि (Lens)** बाज़ार और राज्य : तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार

अब तक की कहानी अगस्त में खुदरा महंगाई 4.82% रही, जो 4% के लक्ष्य से ऊपर है, जबकि रेपो दर 5.25% पर बनी रही। अमेरिकी फ़ेडरल रिज़र्व की दर-वृद्धि ने पूँजी बाहर खींची और रुपये को कमज़ोर किया, इसलिए अक्टूबर में RBI की दर-वृद्धि संभव दिखती थी।

समाचार (THE NEWS) मुंबई। भारतीय रिज़र्व बैंक की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) सोमवार, 5 अक्टूबर को तीन दिवसीय बैठक शुरू कर रही है और उसका निर्णय 7 अक्टूबर को आना है। यह पूर्वावलोकन है, फ़ैसला नहीं। द इकोनॉमिक टाइम्स के 21 अर्थशास्त्रियों और बैंक अधिकारियों के सर्वेक्षण में 20 को रेपो दर में 25 आधार अंक (एक आधार अंक प्रतिशत अंक का सौवाँ हिस्सा होता है) की वृद्धि की उम्मीद है; रेपो वह दर है जिस पर RBI बैंकों को उधार देता है, और यह 5.25% से 5.50% होगी; एक को कोई बदलाव नहीं दिखता। ET ने ब्रेट कच्चे तेल का भाव सितंबर की शुरुआत से \$100 के ऊपर बताया है, जबकि RBI का वित्त वर्ष 2026-27 का अनुमान \$85 है। जून-सितंबर के मानसून में लगभग 13% की कमी रही है, और अमेरिकी फ़ेड की सितंबर की वृद्धि ने भारत-अमेरिका के 10-वर्षीय प्रतिफल का अंतर घटाकर 189 आधार अंक कर दिया है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

पश्चिम एशिया के संघर्ष से ब्रेट \$100 के पार → आयातित ईंधन की लागत और कमजोर मानसून महंगाई को 6% की ओर धकेलते हैं → अमेरिकी फ़ेड दरें बढ़ाता है और भारत का प्रतिफल-लाभ सिकुड़ता है → मज़बूत संवृद्धि से रुकने का तर्क कमजोर पड़ता है → MPC दर-वृद्धि पर विचार करती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. MPC एक वैधानिक छह सदस्यीय समिति है जो बहुमत से फैसला करती है — भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (RBI Act) की धारा 45ZB के अनुसार गवर्नर अध्यक्ष होते हैं, साथ में मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर, RBI का एक अधिकारी और केंद्र द्वारा नियुक्त तीन बाहरी सदस्य होते हैं। निर्णय RBI पर बाध्यकारी होते हैं, और मत बराबर होने पर गवर्नर को निर्णायक मत मिलता है। धारा 45ZA के तहत केंद्र हर पाँच वर्ष में महंगाई का लक्ष्य तय करता है; ET के अनुसार यह 4% है और 2% का दायरा है। 2. नीतिगत गलियारे में रेपो दर एक निचली और एक ऊपरी सीमा के बीच रहती है — स्थायी जमा सुविधा (SDF), जिसमें बैंक बिना जमानत के अपनी अतिरिक्त नकदी रखते हैं, रेपो से 25 आधार अंक नीचे होती है; सीमांत स्थायी सुविधा (MSF), यानी आपातकालीन रातोंरात की खिड़की, 25 आधार अंक ऊपर होती है। RBI के दर-पृष्ठ पर रेपो 5.25%, SDF 5.00% और MSF 5.50% है, इसलिए 25 आधार अंक की वृद्धि से SDF 5.25% और MSF 5.75% हो जाएगी।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. महंगाई और मौद्रिक नीति GS3 के संसाधन-संग्रहण खंड में आती हैं — पाठ्यक्रम की पंक्ति है “भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, संवृद्धि, विकास तथा रोज़गार से संबंधित मुद्दे”।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● मौद्रिक नीति समिति का गठन RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत होता है: RBI के तीन सदस्य, जिनमें गवर्नर अध्यक्ष होते हैं, और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन सदस्य। ● RBI अधिनियम की धारा 45ZA के तहत केंद्र सरकार, RBI से परामर्श करके, हर पाँच वर्ष में एक बार महंगाई का लक्ष्य अधिसूचित करती है। ● स्थायी जमा सुविधा तरलता गलियारे की निचली सीमा और सीमांत स्थायी सुविधा उसकी ऊपरी सीमा है, और रेपो दर इन दोनों के बीच रहती है। ● नकद आरक्षित अनुपात (CRR) जमा का वह हिस्सा है जो बैंक RBI के पास नकद रखते हैं; सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) वह हिस्सा है जो तरल परिसंपत्तियों में रखा जाता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दर-वृद्धि तेल का टैंकर नहीं भर सकती, पर तेल के झटके को दाम की आदत बनने से रोक सकती है — यह मुख्यतः आपूर्ति का झटका है, और जैसा बैंक ऑफ़ इंग्लैंड की स्वाति ढींगरा चेताती हैं, दरें किसी बंद जलडमरूमध्य को नहीं खोल सकतीं। फिर भी वे “द्वितीय-चरण” के असर को धामती हैं, जब फ़र्में और कामगार आगे और महंगाई की उम्मीद में दाम और मज़दूरी बढ़ा देते हैं। ET की मैथिली भुसनुर्मट जोड़ती हैं कि सरकार अब तक तेल की बढ़त को सोखती आई है, पर यह सहारा टिकेगा नहीं। 2. दर-वृद्धि पूँजी खाते की रक्षा करती है, क्योंकि वैश्विक पैसा अब सस्ता नहीं रहा — भुसनुर्मट बताती हैं कि 2025-26 में भुगतान संतुलन \$23.6 अरब ऋणात्मक रहा, और स्वैप खिड़की को “स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता”। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार एक वर्ष में अमेरिका और फ़्रांस के 10-वर्षीय प्रतिफल 1.2–1.4 अंक चढ़े, जबकि भारत का 7.21% वाला प्रतिफल 0.7 अंक चढ़ा। बैंक ऑफ़ बडौदा के मदन सबनवीस का प्रतिवाद है कि दर-वृद्धि त्योहारी खर्च को चोट पहुँचा सकती है। 3. दृष्टि — अल्पकालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार: समय रहते छोटी वृद्धि, देर से बड़ी वृद्धि से सस्ती पड़ती है — दरें स्थिर रखने से त्योहारों में राहत मिलती है; पर 4% का वह लक्ष्य जिस पर बाज़ार को भरोसा हो, वही दीर्घकालिक सुधार है जो उधारी को सस्ता रखता है। अगर महंगाई 6.2–6.3% तक पहुँचती है, जिसकी कुछ को आशंका है, तो गोल्डमैन सैक्स लंबे सख्ती-चक्र की उम्मीद करता है। एक सुविज्ञ नीति-निर्माता अभी थोड़ी वृद्धि करेगा, यह मानते हुए कि कोई दर आयातित तेल और मानसून पर निर्भरता का इलाज नहीं है।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“तेल और कमजोर मानसून से उपजी महंगाई का इलाज दर-वृद्धि नहीं हो सकती।” क्या आप सहमत हैं? भारत की वर्तमान स्थिति का उपयोग कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL)	1. निर्देश — क्या आप सहमत हैं — एक पक्ष लीजिए और प्रतिपक्ष का उत्तर दीजिए।

APPROACH TO THE MAINS QUESTION)

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)

2. प्रस्तावना — ब्रेंट \$100 के ऊपर और 13% मानसून-कमी के बीच MPC की बैठक — 4% के लक्ष्य और 2% के दायरे का उल्लेख कीजिए।
3. मुख्य भाग — दरें तेल या अनाज के दाम नहीं घटा सकतीं — आपूर्ति के झटके का इलाज माँग पर अंकुश से नहीं होता।
4. मुख्य भाग — पर वे द्वितीय-चरण के असर रोकती हैं और रुपये की रक्षा करती हैं — मूल्य-वर्धन : धारा 45ZA का लक्ष्य। आरेख : तेल का भाव → अपेक्षाएँ → मज़दूरी, जिसमें दर-वृद्धि अंतिम कड़ी काटती है।
5. निष्कर्ष — छोटी दर-वृद्धि को आपूर्ति-उपायों के साथ जोड़िए — आपूर्ति का पक्ष बफ़र स्टॉक, आयात और ईंधन-करो को संभालना है।

प्रश्न 1. MPC सदस्य के रूप में आपको मज़बूत संवृद्धि के साथ महँगाई की बढ़ती अपेक्षाएँ दिखती हैं। आप कैसे निर्णय लेंगे और उसे कैसे समझाएँगे ?

दृष्टिकोण (Approach): मैं आज के आँकड़े पर नहीं, दो से चार तिमाही आगे के महँगाई-अनुमान पर निर्णय करूँगा, 4% के लक्ष्य और 2-6% के दायरे के सामने। सार्वजनिक रूप से मैं अपना तर्क सीधे शब्दों में समझाऊँगा, बताऊँगा कि कौन-सा आँकड़ा मेरी राय बदल देगा, और बाज़ार को चौंकाने से बचूँगा, क्योंकि साख़ ही RBI का मुख्य औज़ार है।

2.3 ITAT दिल्ली ने आयरिश कंपनी Fireeye को अप्रत्यक्ष शेयर हस्तांतरण पर कर से राहत दी, Tiger Global का दायरा सिकुड़ा

मुद्दा Indirect transfers and treaty tax (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** बाज़ार और राज्य : स्वतंत्रता और जवाबदेही

अब तक की कहानी विदेशी निवेशक अक्सर मॉरीशस और सिंगापुर जैसे संधि वाले देशों के रास्ते भारत आते हैं। भारतीय परिसंपत्तियों वाली किसी कंपनी की विदेश में बिक्री पर भारत में कर लगे या नहीं, यह विवाद Vodafone के समय से चला आ रहा है।

समाचार (THE NEWS) मुंबई। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT) की दिल्ली पीठ, जो एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, ने 30 सितंबर को जारी आदेश में आयरिश कंपनी Fireeye को भारत-आयरलैंड संधि के तहत पूँजीगत लाभ कर से छूट दे दी। 2021-22 में Fireeye ने एक अमेरिकी इकाई के शेयर बेचे थे, जो एक भारतीय कंपनी के शेयर रखती थी; यह अप्रत्यक्ष हस्तांतरण (indirect transfer) है, यानी भारतीय परिसंपत्तियाँ रखने वाली कंपनी की विदेश में बिक्री। अधिकरण ने कर विभाग के उस रुख पर सवाल उठाया जिसमें आयकर अधिनियम के “हस्तांतरण” को संधि के अनुच्छेद 13(5)/13(6) के “अन्यसंक्रामण” (alienation) के बराबर माना गया; दोनों में से कोई “अन्यसंक्रामण” को परिभाषित नहीं करता, और केवल अनुच्छेद 13(4) अप्रत्यक्ष हस्तांतरण को स्पष्ट रूप से शामिल करता है। जनवरी 2026 में Tiger Global मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मॉरीशस की किसी इकाई के अप्रत्यक्ष लाभ भारत-मॉरीशस संधि से संरक्षित नहीं हैं। इस प्रश्न पर उच्च न्यायालय का फैसला अभी आना है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

Vodafone (2012) में निर्णय कि धारा 9(1)(i) विदेश की बिक्री तक नहीं पहुँचती → संसद ने पूर्वव्यापी रूप से व्याख्या 5 जोड़ी → मॉरीशस और सिंगापुर सुरक्षित माने जाते रहे → Tiger Global (जनवरी 2026) ने संधि का संरक्षण नकारा → ITAT दिल्ली ने पाया कि भारत-आयरलैंड संधि के शब्द Fireeye की रक्षा करते हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध
(STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. धारा 9(1)(i) अप्रत्यक्ष हस्तांतरण तक इसलिए पहुँचती है कि संसद ने 2012 में व्याख्या 5 जोड़ी — आयकर अधिनियम, 1961 (Income-tax Act) की धारा 9(1)(i) भारत में स्थित पूँजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय को भारत में उपजी आय मानती है। Vodafone International Holdings v. Union of India (जनवरी 2012) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह “लुक-थ्रू” प्रावधान नहीं है। वित्त अधिनियम, 2012 ने पूर्वव्यापी रूप से व्याख्या 5 जोड़ी, जिसके अनुसार भारतीय परिसंपत्तियों से अपना मूल्य मुख्यतः पाने वाली विदेशी कंपनी के शेयर भारत में स्थित माने जाते हैं।
2. कर संधि करने के अधिकार बाँटती है, और संधि तथा अधिनियम में जो अधिक लाभकारी हो वही लागू होता है — दोहरा कराधान परिहार समझौता (DTAA) करने के अधिकार इस तरह बाँटता है कि आय पर दो बार कर न लगे; अनुच्छेद 13 आमतौर पर संपत्ति के “अन्यसंक्रामण” से हुए पूँजीगत लाभ को शामिल करता है। 1961 के अधिनियम की धारा 90(2) के अनुसार संधि और अधिनियम में जो अधिक लाभकारी हो, वह लागू होता है। Supreme Court Observer के अनुसार Tiger Global (15 जनवरी 2026) ने कहा कि अप्रैल 2017 से पहले के शेयरों के लिए भारत-मॉरीशस संरक्षण केवल प्रत्यक्ष हस्तांतरण पर लागू होता है।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. विदेशी निवेशकों के लिए कर-निश्चितता GS3 के संसाधन-संग्रहण का विषय है — पाठ्यक्रम की पंक्ति है “भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, संवृद्धि, विकास तथा

	रोज़गार से संबंधित मुद्दे”।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9(1)(i) भारत में स्थित पूँजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय को भारत में उपार्जित या उत्पन्न मानती है। ● धारा 9(1)(i) की व्याख्या 5, जो वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा जोड़ी गई, सर्वोच्च न्यायालय के उस Vodafone निर्णय का उत्तर थी जिसमें कहा गया था कि धारा विदेश में हुए शेयर हस्तांतरण को नहीं छूती। ● आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90(2) के तहत कर संधि उस सीमा तक लागू होती है जहाँ तक वह अधिनियम से करदाता के लिए अधिक लाभकारी हो। ● संधि के लाभ का दावा करने के लिए निवेशक के गृह देश के कर प्राधिकरण का कर निवास प्रमाणपत्र (tax residency certificate) चाहिए; Tiger Global ने उसे निर्णायक नहीं माना।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. Fireeye का आदेश संकीर्ण है: यह एक शब्द पर टिका है, नीति-परिवर्तन पर नहीं — एक अधिकरण ने संधि का पाठ पढ़ा; उसने सर्वोच्च न्यायालय को पलटा नहीं। संधि अनुच्छेद 13(4) में अप्रत्यक्ष हस्तांतरण का नाम लेती है, 13(5)/13(6) में नहीं, जो Vodafone के उस विचार की प्रतिध्वनि है कि कानून को यह स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए। खेतान एंड कंपनी के आशीष मेहता कसौटी यह रखते हैं कि बेचा क्या गया: किसी विदेशी कंपनी के शेयर या किसी भारतीय कंपनी के। यह आदेश केवल इन्हीं पक्षों पर बाध्यकारी है। 2. भारत संधि-निश्चितता और कर-परिहार-विरोध के बीच झूलता रहा है, और निवेशक इन झूलों की क्रीमत चुकाते हैं — संसद ने 2012 में पूर्वव्यापी कर लगाया और न्यायालय ने 2026 में संधि का संरक्षण कसा, जबकि ET के अनुसार मॉरीशस और सिंगापुर अब भी पूँजी-प्रवाह के मुख्य प्रवेशद्वार हैं। भारतीय परिसंपत्तियों पर बने मूल्य पर कर लगाना उचित है, पर अनिश्चितता पूँजी की लागत बढ़ाती है; PRS के अनुसार कराधान तथा अन्य विधि (संशोधन) अधिनियम, 2026 ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज को छूट दी। 3. दृष्टि — बाज़ार और राज्य: निश्चितता एक लोक-वस्तु है जिसे राज्य को मुकदमेबाज़ी से नहीं, कानून से देना चाहिए — निवेशक पहले से साफ़ नियम चाहते हैं; राज्य भारत में बने वास्तविक मूल्य पर कर लगाना चाहता है। मामला-दर-मामला फ़ैसले दोनों में से कुछ नहीं देते। एक सुविज्ञ अधिकारी संधि और अधिनियम में यह कहगा कि अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर कर कब लगता है और दावेदार को कितना वास्तविक सार दिखाना होगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	क्या पूर्वव्यापी कर-परिवर्तन और न्यायिक आश्चर्य विदेशी पूँजी की लागत बढ़ाते हैं? अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — राज्य के कर लगाने के अधिकार को निवेशक की निश्चितता के सामने तौलिए। 2. प्रस्तावना — अप्रत्यक्ष हस्तांतरण भारतीय परिसंपत्तियाँ रखने वाली कंपनी की विदेश में बिक्री है — Vodafone, Tiger Global और Fireeye का उल्लेख कीजिए। 3. मुख्य भाग — संधि के दुरुपयोग के विरुद्ध राज्य का पक्ष वास्तविक है — निवास प्रमाणपत्र निर्णायक नहीं है; दिखावटी (letterbox) इकाइयों को भारतीय मूल्य पर कर से बचना नहीं चाहिए। 4. मुख्य भाग — हर उलटफेर जोखिम-प्रीमियम बढ़ाता है — आरेख: 2012 से 2026 तक झूलों की समय-रेखा। 5. मुख्य भाग — इलाज कानून और संधि के पाठ में स्पष्टता है — मूल्य-वर्धन: Vodafone का यह बिंदु कि अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर कर लगाना हो तो संसद को स्पष्ट शब्दों में कहना होगा। 6. निष्कर्ष — स्पष्ट और भविष्यलक्षी नियमों से राजस्व की रक्षा कीजिए — “अन्यसंक्रामण” को परिभाषित कीजिए और सार की कसौटियाँ तय कीजिए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. विभाग Fireeye मामला अधिकरण में हार गया। आयुक्त के रूप में क्या आप उच्च न्यायालय में अपील की सिफ़ारिश करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): केवल तभी, जब आदेश कानून का कोई सारभूत प्रश्न उठाता हो जिसे Tiger Global ने सुलझाया नहीं है; और “अन्यसंक्रामण” का अर्थ इस कसौटी पर खरा उतर सकता है। केवल लक्ष्य पूरा करने के लिए अपील करने से निवेशकों का अविश्वास गहरा होता है। मैं बोर्ड से संधि के शब्दों पर स्पष्टीकरण जारी करने का भी अनुरोध करूँगा।

4. अंतरराष्ट्रीय संबंध (International Relations)

आज की दो खबरें दिखाती हैं कि भूगोल अब भारत की व्यापार-नीति बन गया है। पश्चिम में, होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से शुरू हुआ युद्ध अरब प्रायद्वीप के दूसरे छोर तक पहुँच गया है, और भारत का तेल और माल ढोने वाले समुद्री मार्गों पर ऐसी सेनाएँ लड़ रही हैं जिन पर भारत का कोई नियंत्रण नहीं है। पूर्व में, असम से ढाका के लिए रवाना होती मेथनॉल की बजरा इसके उलट तस्वीर पेश करती है: ऐसा मार्ग जिसे भारत अपनी शर्तों पर स्वयं बना और खोल सकता है।

3.1 हथियों के बाब अल-मंदेब पर कब्जे के बाद यमन की सरकार ने हथी-नियंत्रित इलाके वापस लेने के लिए आक्रमण छेड़ा

सूदा पश्चिम एशिया युद्ध: ईरान, सऊदी और हूती (कड़ी 7) **दृष्टि (Lens)** रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी • राष्ट्रीय हित और वैश्विक साझा हित
अब तक की कहानी: फरवरी में ईरान पर अमेरिकी-इजराइली हमलों से शुरू हुआ युद्ध सऊदी अरब और यमन तक फैल गया है और होर्मुज़ बंद है। 2 अक्टूबर को G7 ने तेल के 10 करोड़ बैरल भंडार जारी करने पर सहमति दी।

समाचार (THE NEWS) अदन, 4 अक्टूबर। रॉयटर्स के हवाले से द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि यमन की सऊदी-समर्थित, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने रविवार को कहा कि वह ईरान-समर्थित हथियों के कब्जे वाले सभी इलाक़े वापस लेने के लिए बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर रही है। राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के प्रमुख रशाद अल-अलीमी ने कहा कि यह अभियान “देश के मुक्त होने तक” चलेगा। हथियों के पास राजधानी सना और उत्तर-पश्चिम 2014 से हैं। पिछले महीने उन्होंने बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य और लाल सागर तट के लगभग 150 किमी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिससे ईरान पर छिड़े युद्ध में एक नया मोर्चा खुल गया। उनका कहना है कि सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के 12 घंटे में 50 हमलों के बाद उन्होंने सऊदी अरामको के ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। हवाई युद्ध की कमान सऊदी अरब के हाथ में है, ज़मीन पर यमनी सेनाएँ लड़ रही हैं और अमेरिका खुफ़िया सूचनाएँ दे रहा है। अलग से, द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, ईरान का कहना है कि जून के इस्लामाबाद समझौता-ज्ञापन (MoU) की अमेरिका के साथ तय सात शर्तें पूरी होने तक होर्मुज़ बंद रहेगा, जबकि इराक़ ने 20 लाख बैरल का एक टैंकर वहाँ से निकालने के लिए लादा है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

हथियों ने 2014 में सना पर कब्जा किया → 2015 में सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन का प्रवेश → 2022 का युद्धविराम काफ़ी हद तक कायम → ईरान युद्ध से होर्मुज़ बंद → हथियों का बाब अल-मंदेब पर कब्जा, सरकार का आक्रमण

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

1. बाब अल-मंदेब स्वेज़ मार्ग का दक्षिणी द्वार है — यह जलडमरूमध्य यमन को ज़िबूती से अलग करता है और लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज़ इसे पार कर लाल सागर और स्वेज़ नहर से गुज़रते हैं और उत्तमाशा अंतरीप (Cape of Good Hope) का लंबा चक्कर बच जाता है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) के तहत ऐसे जलडमरूमध्यों में जहाज़ों को पारगमन मार्ग का अधिकार प्राप्त है।
2. प्रस्ताव 2216 हथी कब्जे को अवैध मानता है — संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसे अप्रैल 2015 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत पारित किया था। इसमें हथियों से माँग की गई कि वे कब्जे वाले इलाक़ों से हट जाएँ और हथियार डाल दें, तथा नामित हथी नेताओं पर हथियार-प्रतिबंध लगाया गया।

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

1. GS2 में पूछा जाता है कि दूसरे देशों के युद्धों का भारत पर क्या असर पड़ता है — पाठ्यक्रम की पंक्ति है “विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव”। संकरे समुद्री मार्गों के बंद होने से भारत के तेल और भाड़े का बिल कैसे बदलता है, इस पर प्रश्न आना लगभग तय माना जाए।

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

- बाब अल-मंदेब यमन और ज़िबूती के बीच स्थित है; होर्मुज़ जलडमरूमध्य फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है।
- यमन पर 2015 का UNSC प्रस्ताव 2216 संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत पारित हुआ था।
- VLCC (बहुत बड़ा कच्चा तेल वाहक) लगभग 20 लाख बैरल तेल ढोता है।

विश्लेषण (ANALYSIS)

1. यह आक्रमण ज़मीन जितना ही वार्ता की मेज़ पर दबदबे के लिए है — जो सरकार बारह वर्ष से अपनी राजधानी पर नियंत्रण नहीं रख सकी, उसके लिए कठोर हो चुके लडाका संगठन से पहाड़ी इलाक़ा छीनना आसान नहीं है। घोषणा का मक़सद संभवतः समझौते की कीमत बढ़ाना है। भारत के लिए समुद्री मार्ग का सैन्य के बजाय वार्ता से खुलना अधिक संभावित है।
2. भारत के सामने दो संकरे मार्ग हैं और दोनों की चाबी अलग हाथों में है — होर्मुज़ को एक राज्य ने बंद किया है, जो शर्तें रखता है और बिचौलियों के ज़रिए बात करता है; बाब अल-मंदेब उस समूह के हाथ में है जो शायद तेहरान की सौदेबाज़ी का पालन न करे। पहले पर समझौता होने से दूसरा अपने-आप नहीं खुल जाएगा। इराक़ की खेप बाज़ार का जवाब दिखाती है: जोखिम विक्रेता उठाता है, इसलिए खरीदारों को तेल मिलता रहता है।

	3. दृष्टि — रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी : भारत किसी का पक्ष नहीं ले सकता, पर अपनी निर्भरताएँ चुन सकता है — सऊदी अरब और इराक़ तेल देते हैं और वहाँ लाखों भारतीय रहते हैं; जबकि ईरान चाबहार देता है; इसलिए किसी भी खेमे में जाने की कहीं न कहीं कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत जो स्वायत्तता वहन कर सकता है वह व्यावहारिक है: अधिक आपूर्तिकर्ता, भंडार और मार्ग। समझदार अधिकारी सुरक्षित आवागमन के लिए नौसैनिक सुरक्षा-घेरा और कूटनीति बनाए रखेगा और संयुक्त राष्ट्र में राजनीतिक समाधान का समर्थन करेगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“लाल सागर और फ़ारस की खाड़ी अब भारत के सबसे असुरक्षित व्यापारिक मोर्चे हैं।” परीक्षण कीजिए कि पश्चिम एशिया का संघर्ष भारत की ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा को कैसे प्रभावित करता है और भारत को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — मुद्दे को अंगों में बाँटिए, भारत पर प्रभाव दिखाइए, फिर प्रतिक्रिया का मूल्यांकन कीजिए। 2. भूमिका — दो जलडमरूमध्य, एक ही जोखिम — होर्मुज़ बंद है और बाब अल-मंदेब हथियों के हाथ में है, इसलिए दोनों मार्ग बाधित हैं। 3. मुख्य भाग — असर कीमत, भाड़े और आपूर्ति के रास्ते पहुँचता है — कच्चे तेल और भाड़े का बढ़ा बिल, तेल कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर दबाव, तथा नाविकों और प्रवासी भारतीयों के लिए जोखिम। 4. मुख्य भाग — भारत के औज़ार विविधीकरण और उपस्थिति हैं, गठबंधन नहीं — आपूर्तिकर्ता बढ़ाना, भंडार बनाना, नौसैनिक तैनाती रखना और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता का समर्थन करना। 5. मूल्य-वर्धन और आरेख — दोनों जलडमरूमध्य और स्वेज़ मार्ग का आरेख बनाइए, भारत के कच्चे तेल के तीरों के साथ; G7 की भंडार-रिलीज़ का उल्लेख कीजिए। 6. निष्कर्ष — प्रतिक्रिया से बढ़कर लचीलापन — किसी एक समुद्री मार्ग पर कम निर्भरता मार्ग-बंदी को संकट के बजाय केवल लागत बना देती है।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. आप पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। रिफ़ाइनरियाँ होर्मुज़ के पार इराक़ के नए मार्ग से भेजी गई महँगी स्पांट खेप की मंजूरी माँग रही हैं। आप निर्णय कैसे लेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं तेल कंपनियों से बीमा, भाड़े और सुरक्षा की वास्तविक लागत माँगूंगा और उसकी तुलना निकटतम विकल्प से करूँगा। लागत और चालक-दल का जोखिम पहले से तय सीमा के भीतर हों तभी मंजूरी दूँगा और लेखा-परीक्षा के लिए कारण दर्ज करूँगा। मैं विदेश मंत्रालय को भी जानकारी दूँगा। किसी भी कीमत पर तेल खरीदना ऊर्जा सुरक्षा नहीं है।

3.2 बोगीबील से ढाका: डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए भारत की पहली जलमार्ग खेप

मुद्दा Inland waterways and Bangladesh connectivity (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** रणनीतिक स्वायत्तता और साझेदारी • तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार

अब तक की कहानी भारत और बांग्लादेश के बीच 1972 से नदी-व्यापार का प्रोटोकॉल है और ब्रह्मपुत्र अधिसूचित राष्ट्रीय जलमार्ग है। फिर भी असम का माल अधिकतर सड़क और रेल से ही बाहर जाता रहा है।

समाचार (THE NEWS) डिब्रूगढ़, 5 अक्टूबर। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की 4 अक्टूबर की विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल सोमवार सुबह 11 बजे डिब्रूगढ़ के बोगीबील टर्मिनल से पहली अंतरराष्ट्रीय खेप को हरी झंडी दिखाएँगे। खेप मेथनॉल की है, जो प्लास्टिक और ईंधन में प्रयुक्त औद्योगिक रसायन है; इसे असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड भेज रही है और गंतव्य ढाका के पास पंगाँव बंदरगाह है। यह राष्ट्रीय जलमार्ग-2 यानी ब्रह्मपुत्र और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से जाएगी, जो नदी के वे हिस्से हैं जिन्हें दोनों देशों ने एक-दूसरे के व्यापार के लिए खोलना स्वीकार किया है। विज्ञप्ति के अनुसार स्वतंत्रता के बाद पहली बार डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह तक माल जलमार्ग से जा रहा है। उसमें मात्रा, भाड़े की दर या आगे की यात्राओं के कार्यक्रम का कोई ज़िक्र नहीं है।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

1947 के विभाजन से पूर्वी बंगाल होकर असम के नदी-संपर्क कटे → 1972 का प्रोटोकॉल भारत-बांग्लादेश नदी-व्यापार की अनुमति देता है → ब्रह्मपुत्र राष्ट्रीय जलमार्ग बना, बोगीबील में टर्मिनल → असम पेट्रोकेमिकल्स ने मेथनॉल लादा → डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह की पहली खेप रवाना

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS)

1. राष्ट्रीय जलमार्ग संसद घोषित करती है, राज्य नहीं — संघ सूची की प्रविष्टि 24 संसद को विधि द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित अंतर्देशीय जलमार्गों पर पोत-परिवहन और नौवहन के बारे

LINKAGE)	में शक्ति देती है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (National Waterways Act, 2016) ने 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय घोषित किया। राष्ट्रीय जलमार्ग-2 असम में धुबरी से सादिया तक ब्रह्मपुत्र है, जिसकी लंबाई लगभग 891 किमी है। 2. IWAI जलमार्ग विकसित करता है और 1972 का प्रोटोकॉल उन्हें बांग्लादेश के लिए खोलता है — भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन वैधानिक निकाय है, जिसे राष्ट्रीय जलमार्गों के निर्माण और विनियमन के लिए IWAI अधिनियम, 1985 से स्थापित किया गया। 1972 में हस्ताक्षरित अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल (Protocol on Inland Water Transit and Trade) हर देश के जहाजों को दूसरे देश के निर्दिष्ट नदी-मार्गों पर माल ढोने देता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS2 और GS3 दोनों में पड़ोस की संपर्कता और परिवहन पर प्रश्न आते हैं — GS2 की पंक्ति है “भारत एवं उसके पड़ोसी — संबंध”; GS3 में “अवसंरचना: बंदरगाह, सड़क, रेलवे” आता है। परीक्षक पूछ सकते हैं कि जलमार्ग स्थल-रुद्ध पूर्वोत्तर को बाजारों तक पहुँचने में कैसे मदद करते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● राष्ट्रीय जलमार्ग-1 प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा है; राष्ट्रीय जलमार्ग-2 धुबरी से सादिया तक ब्रह्मपुत्र है। ● राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 ने 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए। ● भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 1985 के अधिनियम से बना। ● संघ सूची की प्रविष्टि 24 राष्ट्रीय जलमार्गों पर पोत-परिवहन और नौवहन से संबंधित है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. जलमार्ग तभी गलियारा बनता है जब माल दोनों दिशाओं में चले — एक खेप यह साबित करती है कि मार्ग का उपयोग हो सकता है, यह नहीं कि वह लाभकारी है। बजरे तब कमाते हैं जब दोनों ओर का भाड़ा मिले और बंदरगाह, ड्रेजिंग तथा सीमा-शुल्क निकासी भरोसेमंद हों। विज्ञप्ति नियमित सेवा के बारे में कुछ नहीं कहती। 2. यह मार्ग पूर्वोत्तर को एक सड़क से आगे निकलने का रास्ता देता है — असम का माल लंबे समय से शेष भारत से जोड़ने वाले एक संकरे स्थल-मार्ग पर निर्भर रहा है। ढाका तक का नदी-मार्ग बाज़ार और समुद्र तक दूसरा रास्ता खोलता है। लाभ पड़ोसी की सद्भावना पर टिका है, इसलिए यह पूर्वोत्तर को ढाका की राजनीति से भी बाँध देता है। 3. दृष्टि — तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार: हरी झंडी दिखाना आसान है, चालू गलियारा एक दशक का रखरखाव है — समारोह एक संकेत है, लेकिन ब्रह्मपुत्र अपनी धारा बदलती है और गाद भरती है, इसलिए हर मौसम में गहराई की ड्रेजिंग करनी पड़ती है। समझदार अधिकारी परियोजना को एक साल बाद दोबारा होने वाली यात्राओं और माल की मात्रा से आँकगा और जलधारा के रखरखाव के लिए बजट में स्थायी मद रखेगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	परीक्षण कीजिए कि अंतर्देशीय जलमार्ग बांग्लादेश के साथ भारत की संपर्कता और पूर्वोत्तर के विकास को कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — लाभ और सीमाएँ दिखाइए और एक निर्णय पर पहुँचिए। 2. भूमिका — पहली खेप एक पुराना मार्ग खोलती है — NW-2 पर डिब्रूगढ़-ढाका की खेप दिखाती है कि जलमार्ग असम को बांग्लादेश से जोड़ सकते हैं। 3. मुख्य भाग — सड़क से सस्ता, हरित और कम भीड़भाड़ वाला — प्रति टन कम लागत, संकरे स्थल-मार्ग को राहत और असम के उद्योग के लिए नया बाज़ार। 4. मुख्य भाग — इसके लिए ड्रेजिंग, टर्मिनल और भरोसा चाहिए — जलधारा की गहराई, वापसी का माल और सीमा-शुल्क सुविधा सफलता तय करते हैं; बोगीबील-धुबरी-पंगांव मार्ग का आरेख बनाइए। 5. निष्कर्ष — समारोह नहीं, तंत्र बनाइए — नियमित यात्राएँ और रखरखाव प्रतीकात्मक पहल को व्यापारिक गलियारे में बदलेंगे।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. डिब्रूगढ़ के कलेक्टर के रूप में आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हरी झंडी के बाद स्थानीय व्यापारी सचमुच बोगीबील टर्मिनल का उपयोग करें? दृष्टिकोण (Approach): मैं ज़िला उद्योग केंद्र, निर्यातकों, सीमा-शुल्क विभाग और टर्मिनल संचालक को साथ बुलाऊंगा और उन अड़चनों की सूची बनाऊंगा जो किसी व्यापारी को बजरा बुक करने से रोकती हैं, जैसे कागज़ी कार्रवाई, भंडारण या लागत। मैं एक संपर्क-बिंदु और तय

यात्रा-कार्यक्रम माँगा ताकि छोटे निर्यातक योजना बना सकें। मैं IWAI के साथ हर महीने यात्राओं और माल की समीक्षा करूँगा और टर्मिनल तक सड़क-संपर्क के बारे में राज्य को लिखूँगा। जो टर्मिनल केवल एक रसायन कंपनी के काम आए, उससे वही कंपनी लाभान्वित होती है, ज़िला नहीं।

5. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment & Ecology)

दिल्ली सरकार रिज की सुरक्षा की घोषणा बार-बार करती रही है, और आज के आँकड़े बताते हैं कि इसमें से कितना अब भी कागज़ पर ही है। कोई वन क़ानून की नज़र में तभी सुरक्षित होता है जब अंतिम अधिसूचना जारी हो जाए, और राजधानी का यह हरित फेफड़ा दशकों से उसकी प्रतीक्षा में है। असली कसौटी यह है कि जो सरकार किसी वन को बचाना चाहती है, क्या वह उसके रास्ते में खड़े दावों, अतिक्रमणों और अदालती मामलों को भी निपटाएगी।

4.1 दिल्ली ने उत्तरी रिज के 112.3 हेक्टेयर को आरक्षित वन अधिसूचित किया, जबकि 2,073 हेक्टेयर धारा 20 से बाहर बना हुआ है

मुद्दा Delhi's Ridge and forest protection (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** विकास और पर्यावरण - विधि का शासन और विवेकाधिकार

अब तक की कहानी अरावली की शाखा, दिल्ली का रिज, 1994 में वन के रूप में पहली बार अधिसूचित हुआ था, पर उसे कभी पूरी तरह आरक्षित वन घोषित नहीं किया गया; न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण दिल्ली पर यह काम पूरा करने का दबाव डालते रहे हैं।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार, 2 अक्टूबर को दिल्ली सरकार ने उत्तरी रिज के 112.3 हेक्टेयर (112.328 हेक्टेयर) को, जो अरावली पर्वतमाला का ही विस्तार है, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (Indian Forest Act, 1927) की धारा 20 के अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने वाली चरण-1 की अधिसूचना को मंजूरी दी। इसमें सीमांकित 8.61 हेक्टेयर भूमि को छोड़ दिया गया। आरक्षित वन, वनों की सबसे सशक्त क़ानूनी श्रेणी है। मई 2026 में दिल्ली ने सीमांकित 991.9 हेक्टेयर में से मध्य रिज के 673.32 हेक्टेयर को अधिसूचित किया था, और सितंबर में दक्षिणी रिज के 400.541 हेक्टेयर के प्रारूप को मंजूरी दी। जून 2026 की दिल्ली रिज प्रबंधन बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार 7,772.3 हेक्टेयर का सीमांकन हुआ है, 4,850.3 हेक्टेयर पहले ही अधिसूचित है, 848.769 हेक्टेयर प्रस्तावित है और 2,073.226 हेक्टेयर अब भी बाहर है। वन विभाग ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को बताया कि अतिक्रमण, लंबित मुक़दमे और अधूरी तटीमा (भू-अभिलेख) कार्यवाही देरी की वजह है।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

24 मई 1994 को रिज धारा 4 के तहत अधिसूचित → धारा 20 से पहले अधिकारों और दावों का निपटारा ज़रूरी → अतिक्रमण, अदालती स्थगन और अधूरे भू-अभिलेख निपटारे को रोकते हैं → मई 2024 में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति पाती है कि केवल 1.33% धारा 20 के तहत अधिसूचित है → 2026 में दिल्ली चरणबद्ध अधिसूचना जारी करती है

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. भारतीय वन अधिनियम, 1927 में आरक्षित वन धारा 20 तक पहुँचने वाली सूचनाओं की शृंखला से बनता है — धारा 4 के अंतर्गत राज्य सरकार आरक्षित वन गठित करने के अपने इरादे की अधिसूचना जारी करती है। इसके बाद वन बंदोबस्त अधिकारी अधिकारों के दावों की जाँच करता है, और अपील की व्यवस्था है। उसके बाद ही सरकार धारा 20 की अधिसूचना जारी करके आरक्षित वन घोषित करती है। धारा 29 अपेक्षाकृत हल्की श्रेणी, यानी संरक्षित वन, की व्यवस्था करती है। 2. रिज की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय, CEC और NGT करते हैं — रिज टी. एन. गोदावर्मन मामले में सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में है, और न्यायालय द्वारा 2002 में गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) अतिक्रमण पर रिपोर्ट देती है। 2010 में बना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अनुपालन की अलग से निगरानी करता है।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS3 के पाठ्यक्रम में “संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण” शामिल है — प्रश्न यह पुछा जा सकता है कि शहरी दबाव में वन का बचना नीतिगत इरादे से तय होता है या क़ानूनी दर्जे से। रिज अधिसूचित, सीमांकित और वास्तव में सुरक्षित भूमि के बीच का अंतर दिखाता है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 वह प्रावधान है जिसके अंतर्गत अधिकारों के निपटारे के बाद राज्य सरकार किसी वन को अंतिम रूप से आरक्षित वन घोषित करती है। ● भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 संरक्षित वनों की व्यवस्था करती है, जहाँ गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के बजाय विनियमित किया जाता है। ● दिल्ली रिज अरावली पर्वतमाला का ही विस्तार है। ● दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 (Delhi Preservation of Trees Act, 1994) के अनुसार दिल्ली में पेड़ काटने के लिए नामित वृक्ष अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ● राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भारतीय वन अधिनियम, 1927 सहित पर्यावरण संबंधी क़ानूनों से जुड़े दीवानी मामलों की सुनवाई करता है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. अधिसूचना वन के प्रति वादा तभी बनती है जब भूमि पर मानवीय दावों का निपटारा हो चुका हो — दावों के निपटारे से पहले धारा 20 जारी नहीं हो सकती, और रिज पर गाँवों की बस्तियाँ,

	अनधिकृत कॉलोनियाँ, झुग्गी समूह, धार्मिक ढाँचे और सरकारी आबंटन मौजूद हैं। इन्हें सुलझाने का अर्थ है मुआवज़ा देना, पुनर्वास करना या मुकदमा लड़ना। इस मेहनत के बिना की गई घोषणाएँ सुर्खियाँ बनाती हैं, जंगल नहीं। 2. चरणबद्ध अधिसूचना आसान भूमि को पहले बचाती है और कठिन भूमि को छूट जाने देती है — छोड़ी गई 2,073.226 हेक्टेयर भूमि मुख्यतः विवादित है, यानी सबसे अधिक खतरे वाले हिस्से सबसे अंत में सुरक्षित होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2025 में कहा कि अधिसूचित न होने से रिज की सुरक्षा समाप्त नहीं हो जाती, पर समुचित वैधानिक संरक्षण के बिना उसकी अखंडता बचाई नहीं जा सकती। इसके विपरीत तर्क यह है कि चरणों में काम करने से हर मामले के निपटने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती; यह तभी उचित है जब आगे के चरणों की तिथियाँ तय हों। 3. लेंस — विधि का शासन और विवेकाधिकार: बहिष्करण दिखाते हैं कि किसे असुरक्षित छोड़ना है, यह कौन तय करता है — मई की मध्य रिज अधिसूचना में राष्ट्रपति अंगरक्षक मैदान (12.6 हेक्टेयर), इसरो का भू-केंद्र (0.68 हेक्टेयर), 14वीं सदी का मालचा महल (0.09 हेक्टेयर) और एक पंप स्टेशन (0.15 हेक्टेयर) बाद के चरणों के लिए छोड़ दिए गए। हर एक के पीछे कोई कारण हो सकता है, पर सब मिलकर मामला-दर-मामला चयन की ओर संकेत करते हैं। विवेकशील अधिकारी हर बहिष्कृत भूखंड को उसके कारण और तिथि के साथ सार्वजनिक करेगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	दिल्ली के रिज को पहली बार 1994 में अधिसूचित किया गया था, फिर भी उसका बहुत थोड़ा हिस्सा आरक्षित वन है। इसके कारणों का परीक्षण कीजिए और सुझाइए कि संरक्षण को कैसे पूरा किया जा सकता है। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — परीक्षण कीजिए — कारणों की जाँच कीजिए और उपायों को तौलिए; केवल वर्णन न कीजिए। 2. प्रस्तावना — वन क़ानून की नज़र में धारा 20 के बाद ही सुरक्षित होता है — 1994 की धारा 4 की सूचना की तुलना 7,772.3 हेक्टेयर के सीमांकन और अब भी बाहर बचे 2,073.226 हेक्टेयर से कीजिए। 3. मुख्य भाग — क़ानून की कमी नहीं, बल्कि अनिर्णीत दावे, अतिक्रमण और मुकदमे देरी का कारण हैं — मूल्य-वर्धन: CEC का 2024 का निष्कर्ष कि केवल 1.33% अधिसूचित है। 4. मुख्य भाग — चरणबद्धता आसान भूमि को पहले बचाती है और विवादित भूमि को पीछे छोड़ देती है — सर्वोच्च न्यायालय, नवंबर 2025: राज्य ने तत्परता से कार्य नहीं किया। 5. मुख्य भाग — तिथियों वाली सार्वजनिक योजना विवेकाधिकार को जवाबदेही में बदलती है — आरेख: धारा 4 से निपटारे और फिर धारा 20 तक का प्रवाह-चित्र, जिसमें दिखाइए कि रिज कहाँ अटका है। 6. निष्कर्ष — निपटारा पूरा कीजिए, बहिष्करण सार्वजनिक कीजिए, समय-सीमा तय कीजिए — संरक्षण को सतत शहरी विकास से जोड़िए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. प्रधान सचिव (वन) के रूप में आप पाते हैं कि विवादित भू-अभिलेखों के कारण रिज का 2,073 हेक्टेयर अधिसूचना से बाहर रह गया है। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं सबसे पहले भूखंडवार पंजी प्रकाशित करूँगा जिसमें हर हिस्से के बहिष्कार का कारण दर्ज हो, ताकि देरी दिखाई दे और उस पर सवाल उठाया जा सके। राजस्व और वन विभाग समयबद्ध संयुक्त पुनर्सत्यापन करेंगे, जिसकी समीक्षा मैं हर महीने करूँगा। भूखंड रखने वाली एजेंसियाँ निश्चित समय में सहमति देंगी या लिखित कारण बताएँगी। निजी भूमि के लिए मैं अधिनियम की बंदोबस्त प्रक्रिया का पालन करूँगा, जिसमें नोटिस और सुनवाई शामिल है।

6. स्वास्थ्य एवं जीव विज्ञान (Health & Life Sciences)

दो बीमारियाँ, और भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था के दो तरह से नज़र फेर लेने के उदाहरण। रेबीज़ में सरकारी गणना और शोध-अनुमान के बीच सौ गुना से भी अधिक का अंतर है, इसलिए इस रोग को मिटाने का संकल्प लेने वाला देश यह नहीं बता सकता कि वह खड़ा कहाँ है। फेफड़े के कैंसर में, जो सबसे बड़ा कैंसर-हत्यारा है, राष्ट्रीय जाँच तीन अन्य कैंसरों को ही कवर करती है, क्योंकि उनकी जाँच सस्ती है। दोनों कहानियाँ यही पूछती हैं कि जो नापा और जिस पर खर्च किया जाता है, वह उससे मेल खाता है या नहीं जो वास्तव में जान लेता है।

5.1 रेबीज़: स्वास्थ्य मंत्रालय की निगरानी में 2024 में 54 मौतें दर्ज हुईं, जबकि ICMR-NIE का अनुमान प्रतिवर्ष 5,726 मौतों का है

मुद्दा Rabies elimination and health data (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और जवाबदेही • तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार

अब तक की कहानी भारत ने 2030 तक कुत्तों से फैलने वाले मानव रेबीज़ को समाप्त करने का संकल्प लिया है; इसकी मौतों की गिनती कठिन है क्योंकि अधिकांश मौतें अस्पतालों के बाहर होती हैं।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम-एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (IDSP-IHIP) ने 2022 में रेबीज़ से 21, 2023 में 50 और 2024 में 54 मौतें दर्ज कीं। महापंजीयक के मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाणन (MCCD) में 2022 में रेबीज़ की 66 और 2023 में 271 चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित मौतें दर्ज हुईं। द लैसेट इन्फेक्शियस डिज़ीज़ेज़ में प्रकाशित ICMR-राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान के एक सामुदायिक अध्ययन का अनुमान है कि प्रतिवर्ष रेबीज़ से 5,726 मौतें होती हैं। इस अध्ययन में 15 राज्यों के 60 ज़िलों के 78,807 परिवारों के 337,808 लोगों का सर्वेक्षण किया गया, प्रयोगशाला आँकड़े जोड़े गए और संभाव्यता निर्णय-वृक्ष मॉडल का प्रयोग हुआ, और पशु-काटने की घटनाएँ प्रतिवर्ष लगभग 91 लाख आँकी गईं, जिनमें 56 लाख कुत्तों द्वारा हुईं। इस प्रकार 5,726 एक मॉडल-आधारित अनुमान है, गिनती नहीं; 2024 की 54 मौतें उसके 1% से भी कम हैं। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दोनों आँकड़े अलग-अलग विधियों से बने हैं और सीधे बराबर नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुमान से विश्व भर में प्रतिवर्ष लगभग 59,000 मानव रेबीज़ मौतें होती हैं, जिनमें से 35% भारत में।

एक पंक्ति में पूरी श्रृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

लक्षण शुरू होने के बाद रेबीज़ लगभग हमेशा जानलेवा → अधिकांश पीड़ित औपचारिक स्वास्थ्य व्यवस्था के बाहर, घर पर मरते हैं → निगरानी और मृत्यु प्रमाणन केवल एक पतला हिस्सा पकड़ पाते हैं → एक शोध मॉडल सौ गुना से अधिक बड़ा आँकड़ा देता है → 2030 के उन्मूलन लक्ष्य का कोई सर्वसम्मत आधार-बिंदु नहीं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)

यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)

प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)

1. भारत का लक्ष्य कुत्तों से फैलने वाले रेबीज़ के उन्मूलन की राष्ट्रीय कार्ययोजना पर टिका है — NAPRE कहलाने वाली यह योजना वैश्विक “ज़ीरो बाय 30” लक्ष्य के अनुरूप 2030 तक कुत्तों से फैलने वाले रेबीज़ से मानव मौतों को समाप्त करना चाहती है। यह एक स्वास्थ्य (One Health) दृष्टिकोण अपनाती है, जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को जोड़ता है, क्योंकि यह रोग केवल काटने के इलाज से नहीं, बल्कि कुत्तों का टीकाकरण करके स्रोत पर ही काटा जाता है।
2. तीन तंत्र मौतों की गिनती करते हैं, और हर एक का काम अलग है — एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) शीघ्र कार्रवाई के लिए प्रकोप-प्रवण रोगों पर नज़र रखता है। MCCD योजना जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (Registration of Births and Deaths Act, 1969) के अंतर्गत चलती है और उन मौतों को कवर करती है जिन्हें किसी चिकित्सक ने प्रमाणित किया हो, जो पंजीकृत मौतों का केवल लगभग 22% है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सूची II, यानी राज्य सूची, में है, इसलिए आँकड़ों की शुरुआत राज्यों के स्वास्थ्य विभागों से होती है।
1. GS2 के पाठ्यक्रम में “स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से जुड़े विषय” पढ़े जाते हैं — विश्वसनीय आँकड़े किसी भी स्वास्थ्य सेवा की नींव हैं। प्रश्न यह आ सकता है कि भरोसेमंद आधार-बिंदु के बिना किसी लक्ष्य की प्रगति कैसे आँकी जाए; रेबीज़ इसका साफ़ उदाहरण है।
 - मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाणन (MCCD) योजना जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत संचालित होती है।
 - सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय सातवीं अनुसूची की सूची II, यानी राज्य सूची, में आते हैं।
 - एक स्वास्थ्य (One Health) दृष्टिकोण पशुओं और मनुष्यों के बीच फैलने वाले रोगों से निपटने के लिए मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को जोड़ता है।
 - कुत्तों से फैलने वाले रेबीज़ के उन्मूलन की राष्ट्रीय कार्ययोजना का लक्ष्य 2030 तक कुत्तों से फैलने वाले रेबीज़ से मानव मौतों को समाप्त करना है।
 - एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) स्वास्थ्य मंत्रालय का वह कार्यक्रम है जो रोग-

	प्रकोपों की शीघ्र पहचान के लिए है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. रेबीज़ उपेक्षित इसलिए रहता है कि वह आँकड़ों में अदृश्य है, और अदृश्य आँकड़ों को बजट नहीं मिलता — प्रतिवर्ष 54 मौतों पर वह डेंगू की 131 से छोटा दिखता है, इसलिए उसे कम धन और कम ध्यान मिलता है। यदि वास्तविक संख्या 5,726 के आसपास है, तो यह क्रम उलट जाता है। योजनाकार अपने सामने रखे आँकड़ों से प्राथमिकताएँ तय करते हैं, इसलिए कमज़ोर गिनती चुपचाप तय कर देती है कि टीके और कुत्तों के टीकाकरण अभियान किसे मिलेंगे। 2. दोनों आँकड़े ईमानदार होते हुए भी अलग-अलग चीज़ें नाप सकते हैं — निगरानी उन मामलों को गिनती है जो अस्पताल पहुँचते और रिपोर्ट होते हैं; प्रमाणन केवल चिकित्सक-प्रमाणित मौतें गिनता है; ICMR का मॉडल परिवारों से पृच्छता है और शेष का अनुमान लगाता है। मंत्रालय की सावधानी उचित है। ईमानदार पाठ यह है कि सरकारी आँकड़ा निचली सीमा है और मॉडल ऊपरी सीमा, और असली काम दोनों को पास लाना है। 3. लेंस — तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार: काटने का इलाज आज जान बचाता है, उन्मूलन के लिए आँकड़े और कुत्तों का टीकाकरण चाहिए — काटने के बाद का टीका और इम्युनोग्लोब्युलिन आज काटे गए व्यक्ति को बचाते हैं। 2030 तक उन्मूलन के लिए धीमा सुधार चाहिए: हर राज्य में रेबीज़ की रिपोर्टिंग, गाँवों की मौतों का प्रमाणन और बड़े पैमाने पर कुत्तों का टीकाकरण। विवेकशील अधिकारी दोनों के लिए धन देगा और प्रगति को सर्वसम्मत आधार-बिंदु के विरुद्ध आँकेगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	भारत का लक्ष्य 2030 तक कुत्तों से फैलने वाले रेबीज़ को समाप्त करना है, फिर भी मौतों की सरकारी और अनुमानित गणना में बहुत अंतर है। ऐसे लक्ष्यों के लिए विश्वसनीय स्वास्थ्य आँकड़े क्यों महत्वपूर्ण हैं, इसका विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — विश्लेषण कीजिए — समस्या को हिस्सों में बाँटिए और दिखाइए कि हर हिस्सा लक्ष्य को कैसे प्रभावित करता है। 2. प्रस्तावना — 54 दर्ज मौतें बनाम 5,726 अनुमानित — 2030 का संकल्प और मंत्रालय की यह सावधानी लिखिए कि विधियाँ अलग हैं। 3. मुख्य भाग — अधिकांश मौतें औपचारिक व्यवस्था के बाहर होती हैं, इसलिए निगरानी कम गिनती करती है — मूल्य-वर्धन: MCCD पंजीकृत मौतों के लगभग 22% को कवर करता है। 4. मुख्य भाग — गलत आधार-बिंदु धन को भटकाता है, क्योंकि उपेक्षित रोग छोटे दिखते हैं — 2025 की मलेरिया (55), डेंगू (131) और कालाज़ार (27) की मौतों से तुलना कीजिए। 5. मुख्य भाग — सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए आँकड़े राज्य-दर-राज्य बनाने होंगे — आरेख: गाँव में काटने से राष्ट्रीय गिनती तक की पाइपलाइन, जिसमें दिखाइए कि मामले कहाँ छूट जाते हैं। 6. निष्कर्ष — रेबीज़ को अधिसूच्य रोग बनाइए और एक समन्वित अनुमान प्रकाशित कीजिए — इसे एक स्वास्थ्य (One Health) के अंतर्गत कुत्तों के टीकाकरण के साथ जोड़िए।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. ज़िलाधिकारी के रूप में आप पाते हैं कि तीन वर्ष में रेबीज़ की कोई मौत दर्ज नहीं हुई, जबकि अस्पतालों में काटने के सैकड़ों मामले दर्ज हैं। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं शून्य रिपोर्ट को शून्य मौत नहीं मानूँगा। मैं काटने के मामलों की समीक्षा करूँगा और जिन्होंने बाद की खुराकें छोड़ दीं, उनका पता लगाऊँगा, तथा स्थानीय चिकित्सकों और पंचायतों से अकारण हुई मौतों के बारे में पूछूँगा। मैं जाँचूँगा कि प्राथमिक केंद्रों पर काटने के बाद का टीका और इम्युनोग्लोब्युलिन उपलब्ध है, और पशुपोलन विभाग के साथ कुत्तों का टीकाकरण शुरू करूँगा। मैं फ़ील्ड कर्मियों के लिए रिपोर्टिंग को सुरक्षित बनाऊँगा, ताकि ईमानदार आँकड़ों को पुरस्कार मिले।

5.2 फेफड़े का कैंसर भारत का सबसे बड़ा कैंसर-हत्यारा है, फिर भी राष्ट्रीय जाँच में केवल स्तन, मुख और गर्भाशय-ग्रीवा के कैंसर शामिल हैं

मुद्दा कैंसर दवाओं की बहनीयता (कडी 3) **दृष्टि (Lens)** विकास और समता • तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार

अब तक की कहानी सर्वोच्च न्यायालय ने कैंसर की दवाओं पर दस गुना मुनाफ़ा जोड़ने को “दिनदहाड़े डकैती” कहा; केरल उच्च न्यायालय ने माना कि महँगी पेटेंट वाली स्तन-कैंसर दवाओं के लिए केंद्र पेटेंट अधिनियम की धारा 100 का प्रयोग कर सकता है।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। द इंडियन एक्सप्रेस में छपे ग्लोबल कैंसर ऑब्ज़र्वेटरी के आँकड़ों के अनुसार 2024 में फेफड़े का कैंसर भारत में कैंसर से सबसे अधिक जान लेने वाला रहा: 98,687 मौतें, यानी कैंसर मौतों का 10.9%, जो 2022 के 75,031 से अधिक है।

नए मामले 2022 के 81,748 (5.8%) से बढ़कर 2024 में लगभग 1.12 लाख (7.2%) हो गए, और अब घटनाओं में यह तीसरे स्थान पर है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जाँच केवल स्तन, मुख और गर्भाशय-ग्रीवा के कैंसर की होती है, जिनके लिए सरल परीक्षण काफ़ी है। डॉ. अभिषेक शंकर के अनुसार फेफड़े के 93% कैंसर उन्नत अवस्था में पकड़े जाते हैं; एक रजिस्ट्री अध्ययन यह आँकड़ा लगभग 45% बताता है। देर से पकड़े जाने पर पाँच वर्ष की उत्तरजीविता 7% से 18% है, जबकि पहली अवस्था में यह 80% तक है। कम-मात्रा सीटी (LDCT), यानी कम विकिरण वाला स्कैन जो फेफड़े की छोटी गाँठों को पकड़ता है, महँगा है और प्राथमिक केंद्रों पर सीटी मशीनें नहीं हैं। ICMR के एक अध्ययन में यह सबसे महँगा पाया गया, पर इसका शुद्ध मौद्रिक लाभ सबसे अधिक था।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

फेफड़े का कैंसर शुरू में कम संकेत देता है → रोग फैल जाने के बाद मरीज़ बड़े केंद्रों तक पहुँचते हैं → कार्यक्रम की सस्ती जाँचें फेफड़े के कैंसर पर लागू नहीं होती → मौतें बढ़ती हैं

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. कैंसर की जाँच गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आती है — NP-NCD में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक शामिल हैं। मुख, स्तन और गर्भाशय-ग्रीवा के कैंसर की जाँच आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से होती है, जिसमें स्तन की नैदानिक जाँच, मुख की दृश्य जाँच और गर्भाशय-ग्रीवा के लिए एसिटिक अम्ल से दृश्य निरीक्षण किया जाता है। 2. LDCT जाँच एक निर्धारित उच्च-जोखिम समूह के लिए उपयुक्त है — दिशानिर्देश इसे 50 से 80 वर्ष के उन लोगों के लिए सुझाते हैं जिन्होंने 20 वर्ष तक लगभग रोज़ एक पैकेट धूम्रपान किया हो। भारतीय शोधकर्ताओं ने 2024 में कहा कि बीड़ी पीने वालों तथा दूसरों के धुएँ, बायोमास ईंधन और धुएँ-धुंध के संपर्क में रहने वालों को भी जोड़ा जाना चाहिए।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS2: “स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से जुड़े विषय” — प्रश्न यह हो सकता है कि जाँच रोग के बोझ के अनुसार होती है या सुविधा के अनुसार; फेफड़े का कैंसर दिखाता है कि लागत और क्षमता तय करती है कि किसकी जाँच होगी।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● कम-मात्रा संगणित टोमोग्राफी (LDCT) उच्च-जोखिम समूहों में फेफड़े के कैंसर की जाँच के लिए प्रयुक्त इमेजिंग विधि है। ● एसिटिक अम्ल से दृश्य निरीक्षण (VIA) गर्भाशय-ग्रीवा के कैंसर की एक कम लागत वाली जाँच है। ● ग्लोबल कैंसर ऑब्ज़र्वेटरी का संचालन अंतरराष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी करती है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का हिस्सा है।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. लेंस — वृद्धि और समता: कार्यक्रम वही जाँचता है जो गरीब मरीज़ का स्वास्थ्य केंद्र जाँच सकता है — जाँच उसी के पीछे चलती है जो प्राथमिक केंद्र सस्ते में कर सकता है, इसलिए फेफड़े का कैंसर छूट जाता है। सबसे अधिक चोट उन्हें लगती है जो सीटी केंद्र तक नहीं पहुँच सकते और सिगरेट न पीते हुए भी बीड़ी के धुएँ, खाना पकाने के ईंधन और प्रदूषित हवा में साँस लेते हैं। एक न्यायसंगत नीति उन उच्च-जोखिम समूहों से शुरू करेगी जहाँ संपर्क सबसे अधिक है। 2. पायलट परियोजनाएँ लागत और क्षय रोग की चिंताओं का उत्तर दे सकती हैं और साथ ही भारतीय साक्ष्य भी जुटा सकती हैं — रिपोर्ट के अनुसार क्षय रोग से झूठे संकेत मिलने की आशंका का उत्तर 2021 के मुंबई पायलट और 2025 के AIIMS अध्ययन ने दिया; इंडियन लंग स्क्रीनिंग ट्रायल और AIRCARE (Air Pollution and Cancer Research Ecosystem) स्थानीय साक्ष्य जोड़ते हैं। विपरीत तर्क यह है कि LDCT का विकिरण स्वयं अन्य कैंसरों का जोखिम बढ़ा सकता है, इसीलिए इसे केवल उच्च-जोखिम समूहों के लिए सुझाया जाता है; राष्ट्रव्यापी विस्तार से पहले एक पायलट भारतीय परिस्थितियों में इस लेन-देन को परखेगा। 3. आगे के उपचार के बिना जाँच केवल चिंता बढ़ाती है — गाँठ पकड़ने वाला स्कैन तभी उपयोगी है जब बायोप्सी और इलाज पास हो, और अधिकांश ज़िलों में कैंसर-चिकित्सक बहुत कम हैं। सहयोगी पृष्ठ पर बताई गई एक युवा गैर-धूम्रपानकर्ता की देर से हुई पहचान दिखाती है कि जो लक्षण सामान्य प्रोफाइल में नहीं बैठते, चिकित्सक उन्हें कैसे ढाल देते हैं। जाँच के साथ रेफरल क्षमता भी बढ़नी चाहिए, वरना शीघ्र पहचान कागज़ पर ही रहेगी।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	फेफड़े का कैंसर भारत में सबसे अधिक जान लेने वाला कैंसर है, किंतु राष्ट्रीय जाँच कार्यक्रम उसे शामिल नहीं करता। जाँच शुरू करने के पक्ष और उसकी चुनौतियों की चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE)	1. निर्देश — चर्चा कीजिए — दोनों पक्ष रखिए, फिर अपना मत बनाइए। 2. प्रस्तावना — 2024 में 98,687 मौतें, फिर भी कोई जाँच नहीं — जाँचे जाने वाले तीन कैंसरों का

MAINS QUESTION)

उल्लेख कीजिए।

3. मुख्य भाग — देर से पहचान जाँच को मूल्यवान बनाती है — मूल्य-वर्धन: पहली अवस्था में 80% तक उत्तरजीविता, देर से पहचान पर 7% से 18%।
4. मुख्य भाग — लागत, सीटी की उपलब्धता और जोखिम की परिभाषा बाधाएँ हैं जिनका उत्तर पायलट दे सकते हैं — ICMR के लागत-प्रभावशीलता निष्कर्ष का हवाला दीजिए।
5. निष्कर्ष — उच्च-जोखिम ज़िलों में LDCT का पायलट चलाइए और भारतीय साक्ष्य के साथ मानदंड व्यापक कीजिए — तंबाकू नियंत्रण के साथ जोड़िए।

प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण
(ADMINISTRATOR'S
BRAINSTORM — Q &
APPROACH)

प्रश्न 1. राज्य के स्वास्थ्य सचिव के रूप में, क्या आप सीमित धन के साथ फेफड़े के कैंसर की जाँच शुरू करेंगे?

दृष्टिकोण (Approach): मैं इसे धूम्रपान और संपर्क की अधिकता वाले कुछ ज़िलों में एक निर्धारित उच्च-जोखिम समूह के लिए पायलट के रूप में चलाऊँगा, जिसमें ज़िला सीटी सुविधा तक रेफरल और पहले से तय उपचार-मार्ग होगा। मैं पाए गए प्रति मामले की लागत पर नज़र रखूँगा और दो वर्ष पर समीक्षा करूँगा, तथा साक्ष्य मिलने पर ही विस्तार करूँगा।

8. समाज (Society)

ओडिशा के दिशा-निर्देश दिखाते हैं कि संसद की भाषा में लिखा अधिकार तहसील कार्यालय में जीता या हारा जाता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) पहले से समान विधिक क्षमता का वचन देता है; फिर भी जिन मामलों की रिपोर्ट हुई है उनमें रिश्तेदार और बाबू तय करते हैं कि मकान का मालिक कौन होगा। सामाजिक न्याय की कसौटी यही है कि ज़मीन दर्ज करने वाले राजस्व अधिकारी से कहा गया है या नहीं कि वह उस व्यक्ति का ध्यान रखे जो चलकर दफ़्तर तक नहीं आ सकता।

6.1 ओडिशा ने दिव्यांगजनों के उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकारों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश बनाए

मुद्दा Disability and property rights (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** परंपरा और सामाजिक न्याय • स्वतंत्रता और व्यवस्था

अब तक की कहानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 समान विधिक क्षमता की गारंटी देता है, पर ज़मीन और मकान के अभिलेख राज्यों के राजस्व कार्यालय रखते हैं।

समाचार (THE NEWS) ओडिशा। अगस्त में ओडिशा सरकार ने दिव्यांगजनों (PwD) के उत्तराधिकार और संपत्ति अधिकारों की रक्षा के लिए तीन पन्ने के दिशा-निर्देश बनाए, द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार। दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रधान सचिव सुरेश कुमार वशिष्ठ ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार पांडी को पत्र लिखा, और दिशा-निर्देश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धाराओं 12, 13, 84 और 85 पर आधारित हैं। इनमें प्रस्ताव है कि तहसील और उप-कलेक्टर स्तर पर PwD की संपत्ति से जुड़ी शिकायतों का एक रजिस्टर रखा जाए, जिसकी निगरानी ज़िला कलेक्टर समय-समय पर करें; अवैध कब्ज़े, अतिक्रमण, दाखिल-खारिज (भूमि अभिलेख में नाम बदलना) या हस्तांतरण की शिकायतों की तुरंत जाँच हो; और राजस्व अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ज़मीन के हस्तांतरण के लिए पहले से पूर्व अनुमति चाहिए, और PwD को भी वैसी ही सुरक्षा चाहिए। 55 वर्षीय दृष्टिबाधित बालकेश्वर पैकराय खुर्दा में परिवार की 40,000 वर्ग फुट ज़मीन में अपना हिस्सा 35 वर्षों से माँग रहे हैं और 300 वर्ग फुट से भी कम में रहते हैं।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

कोई रिश्तेदार या संयुक्त परिवार दिव्यांग सदस्य का हिस्सा हड़प लेता है → वह व्यक्ति कार्यालयों, अदालतों या अभिलेखों तक नहीं पहुँच पाता → वर्षों के आवेदन किसी तक नहीं पहुँचते → कार्यकर्ता राज्य पर दबाव डालते हैं → सामाजिक सुरक्षा विभाग राजस्व विभाग को लिखता है और दिशा-निर्देश बनते हैं।

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. 2016 का अधिनियम 21 दिव्यांगताओं और समान विधिक क्षमता को मान्यता देता है — दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ने 1995 के अधिनियम का स्थान लिया और 21 निर्दिष्ट दिव्यांगताओं को कवर करता है। धारा 12 बिना भेदभाव न्यायालयों और अधिकारों तक पहुँच सुनिश्चित करती है, और धारा 13 सरकार से अपेक्षा करती है कि वह सुनिश्चित करे कि दिव्यांगजन दूसरों के समान आधार पर विधिक क्षमता और विधिक समक्ष समान मान्यता का उपभोग करें। 2. भूमि राज्य का विषय है, जबकि उत्तराधिकार संसद के साथ साझा है — भूमि और उसके राजस्व अभिलेख सातवीं अनुसूची की सूची II में आते हैं, इसलिए उन्हें राज्य का राजस्व विभाग रखता है और राज्य ऐसे दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। उत्तराधिकार समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 है। अनुच्छेद 41, एक नीति निर्देशक तत्व, राज्य से अपेक्षा करता है कि वह अपनी आर्थिक सामर्थ्य की सीमा में निःशक्तता की स्थिति में लोक सहायता सुनिश्चित करे।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. दिव्यांगजन अधिकारों में अब संपत्ति रखने और उत्तराधिकार पाने का अधिकार भी शामिल है — GS2 में कमज़ोर वर्गों की “सुरक्षा और बेहूतरी के लिए गठित तंत्र, कानून, संस्थाएँ और निकाय” पृष्ठे जाते हैं। PwD की संपत्ति शिकायतों का ज़िम्मा ज़िला कलेक्टर को देना इसका नया उदाहरण है। ● दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 21 निर्दिष्ट दिव्यांगताओं को मान्यता देता है और इसने दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 का स्थान लिया। ● दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRPD) का अनुच्छेद 12 विधिक समक्ष समान मान्यता का प्रावधान करता है। ● अनुच्छेद 41, एक नीति निर्देशक तत्व, काम, शिक्षा और निःशक्तता जैसी स्थितियों में लोक सहायता के अधिकार से संबंधित है। ● भूमि और भू-राजस्व राज्य के विषय हैं; विवाह, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार समवर्ती सूची में हैं।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. दिशा-निर्देश उसी एक कार्यालय के ज़रिए काम करते हैं जिसके पास पहले से भूमि अभिलेख है — थाने या दीवानी न्यायालय में शिकायत पर वह धन और समय लगता है जो दिव्यांग व्यक्ति के पास शायद न हो। तहसील में रजिस्टर, जिस पर कलेक्टर की नज़र हो, जाँच को ठीक उस

	जगह रखता है जहाँ दाखिल-खारिज होता है। 2. ज़मीन हस्तांतरण की पूर्व अनुमति रक्षा करती है, पर मालिक को फँसा भी सकती है — शोषण रोकने के लिए SC और ST की ज़मीन बेचने से पहले अनुमति चाहिए। इसे PwD तक बढ़ाने से ज़बरन बिक्री रुकेगी, पर इलाज के खर्च के लिए बेचने को इच्छुक मालिक भी रुक सकता है। बिक्री पर रोक लगाने के बजाय स्वतंत्र सहमति की जाँच करने वाला नियम बेहतर होगा। 3. दृष्टि — परंपरा और सामाजिक न्याय: परिवार की रीति ही हानि का सामान्य रास्ता है — इन मामलों में भाई, संयुक्त परिवार और रिश्तेदार हैं, अजनबी नहीं। रीति दिव्यांग सदस्य को ऐसा आश्रित मानती है जिसकी देखभाल होनी है, ऐसा स्वामी नहीं जिसका हिस्सा है। एक विचारशील अधिकारी पहले हिस्से की रक्षा करेगा और परिवार के भय का, कि उस व्यक्ति की देखभाल कौन करेगा, उत्तर स्वामित्व से नहीं बल्कि सहायता सेवाओं से देगा।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	“दिव्यांग व्यक्ति के लिए उत्तराधिकार का अधिकार राजस्व कार्यालय की सहायता के बिना खोखला है।” PwD संपत्ति अधिकारों पर ओडिशा के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	1. निर्देश — चर्चा कीजिए — अधिकार, अंतराल और दिशा-निर्देशों का उत्तर रखिए। 2. भूमिका — कागज़ पर अधिकार — 2016 अधिनियम की धाराएँ 12 और 13, UNCRPD का अनुच्छेद 12 और ओडिशा के अगस्त के दिशा-निर्देश। 3. मुख्य भाग — हानि राजस्व की मेज़ और परिवार में होती है — दाखिल-खारिज, अतिक्रमण और हस्तांतरण; 35 वर्षों की कोशिश का पैकराय का मामला। 4. मुख्य भाग — दिशा-निर्देश जाँच को तहसील और कलेक्टर तक ले जाते हैं — शिकायत रजिस्टर, जाँच, संवेदनशील अधिकारी; शिकायत से कलेक्टर की समीक्षा तक प्रवाह-चित्र बनाइए। 5. मुख्य भाग — सीमाएँ बनी हैं: ये दिशा-निर्देश हैं, कानून नहीं, और बौद्धिक दिव्यांगों को अधिक चाहिए — मूल्यवर्धन: समर्थित निर्णय-निर्माण पर UNCRPD का अनुच्छेद 12। 6. निष्कर्ष — रजिस्टर को सांविधिक बनाइए और उसका आँकड़ा प्रकाशित कीजिए — शिकायतों और उनके निपटारे की वार्षिक सार्वजनिक रिपोर्ट।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. उप-कलेक्टर के रूप में आप पाते हैं कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के नाम का दाखिल-खारिज आदेश उसके भाई के पक्ष में निपटाया जा रहा है। आप क्या करेंगे? दृष्टिकोण (Approach): मैं प्रविष्टि रोक दूँगा और दोनों पक्षों को बुलाऊँगा, उस व्यक्ति को उपस्थित होने में सहायता दिलाकर। मैं जाँचूँगा कि उसकी सहमति स्वतंत्र और सूचित है, और जाँच नए शिकायत रजिस्टर में दर्ज करूँगा। मैं यह निर्देश भी दूँगा कि ऐसी सुनवाईयाँ वहाँ हों जहाँ वह व्यक्ति पहुँच सके।

7. आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

आज की इकलौती सुरक्षा-खबर इस बारे में है कि राज्य अपनी ही नीति की समीक्षा कैसे करता है। पहले अग्निवीर चार वर्ष पूरे करने के करीब हैं और सेवाओं ने सैन्य कार्य विभाग को बताया है कि योजना में क्या बदलाव होने चाहिए। सवाल यह है कि व्यवस्था के भीतर होने वाली समीक्षा क्या सबसे कठिन प्रश्न पूछेगी: क्या अनुभव खोकर युवा बल पाना सार्थक है?

7.1 पहले अग्निवीर बैच का चार वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के करीब आने पर सेवाओं ने अग्निपथ में सुधार के प्रस्ताव DMA को भेजे

मुद्दा Agnipath review (नया मुद्दा) **दृष्टि (Lens)** स्वतंत्रता और जवाबदेही • तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधार

अब तक की कहानी: जून 2022 में शुरू हुई अग्निपथ योजना ने सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों की नियमित भर्ती की जगह चार वर्ष की अल्पकालिक सेवा-अवधि वाली भर्ती शुरू की।

समाचार (THE NEWS) नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने द हिंदू को पुष्टि की कि थलसेना, नौसेना और वायुसेना ने अग्निपथ योजना में सुधार की अपनी-अपनी सिफारिशें सैन्य कार्य विभाग (DMA) को भेज दी हैं। इन्हें शामिल करते हुए एक रिपोर्ट “सक्षम प्राधिकारी” को भेजी गई है। अखबार के अनुसार 2023 में भर्ती हुआ पहला अग्निवीर बैच इस वर्ष के अंत में अपना संविदा-कार्यकाल पूरा करेगा। जून 2022 में लाई गई इस योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष के युवक-युवतियों को छह महीने के प्रशिक्षण सहित चार वर्ष के लिए भर्ती किया जाता है। इसके बाद हर बैच के अधिकतम 25% को संगठन की आवश्यकता और प्रदर्शन के आधार पर नियमित काडर में रखा जा सकता है। शेष 75% करमुक्त सेवा निधि (Seva Nidhi) पैकेज लेकर लौटते हैं, जो अग्निवीर के मासिक अंशदान और उतने ही सरकारी अंशदान से बनता है; उन्हें पेंशन या ग्रेजुएटी नहीं मिलती। समीक्षा का उद्देश्य युवा बल और परिचालन अनुभव एवं निरंतरता के बीच संतुलन साधना है। अखबार ने नहीं बताया कि सेवाओं ने क्या प्रस्ताव दिए हैं।

एक पंक्ति में पूरी शृंखला (THE CHAIN IN ONE LINE)

सेवाओं की युवा बल की चाह → जून 2022 में चार वर्ष की अवधि वाला अग्निपथ → 2023 में पहला बैच भर्ती → कार्यकाल इस वर्ष के अंत में पूरा → प्रस्ताव DMA को और रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को

स्थैतिक पाठ्यक्रम संबंध (STATIC SYLLABUS LINKAGE)	1. DMA रक्षा मंत्रालय का वह भाग है जिसे सैन्य अधिकारी चलाते हैं — सैन्य कार्य विभाग (Department of Military Affairs) दिसंबर 2019 में रक्षा प्रमुख (CDS) के पद के साथ बनाया गया; CDS उसके सचिव के रूप में उसका प्रमुख होता है। यह रक्षा मंत्रालय के भीतर है, जिसके चार अन्य विभाग हैं: रक्षा, रक्षा उत्पादन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास, और पूर्व सैनिक कल्याण। यह तीनों सेवाओं के मामले देखता है, इसीलिए उनके अग्निपथ संबंधी प्रस्ताव इसी के पास जाते हैं। 2. रक्षा संघ का विषय है, इसलिए सेनाओं को केवल संसद और केंद्र आकार देते हैं — अनुच्छेद 246 विधायी शक्तियों का बँटवारा करता है और संघ सूची रक्षा को केंद्र के हाथ में रखती है: प्रविष्टि 1 भारत की रक्षा और प्रविष्टि 2 संघ की नौसेना, थलसेना, वायुसेना तथा कोई भी अन्य सशस्त्र बल है। अनुच्छेद 53(2) सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित करता है, जिसका प्रयोग विधि के अनुसार होगा।
यूपीएससी को यह विषय क्यों पसंद है (WHY UPSC LOVES THIS — TREND)	1. GS3 में आंतरिक सुरक्षा और बलों की भूमिका पर प्रश्न आते हैं — GS3 की पंक्ति है “विभिन्न सुरक्षा बल एवं अभिकरण और उनके अधिदेश”, और GS2 में “सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप” आता है। अग्निपथ रक्षा सुधार और उसके समझौतों का तैयार उदाहरण है।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु मुख्य तथ्य (PRELIMS NUGGETS)	● सैन्य कार्य विभाग दिसंबर 2019 में बना और उसका प्रमुख रक्षा प्रमुख (CDS) है, जो उसका सचिव होता है। ● भारत की रक्षा और संघ के सशस्त्र बल संघ सूची की प्रविष्टि 1 और 2 हैं। ● अनुच्छेद 53(2) रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित करता है। ● अग्निपथ के रंगरूट अग्निवीर कहलाते हैं और छह महीने के प्रशिक्षण सहित चार वर्ष सेवा करते हैं।
विश्लेषण (ANALYSIS)	1. समझौता उम्र और अनुभव के बीच है, और यह वास्तविक है — चार वर्ष बाद लौटने वाला सैनिक जीवन भर के हिसाब से सस्ता और सीमा पर अधिक युवा होता है, पर सेवाओं को एक व्यक्ति में बरसों तक कौशल गढ़ने के बजाय नए रंगरूटों को बार-बार प्रशिक्षित करते रहना पड़ता है। यह तनाव तकनीकी शाखाओं में सबसे तीखा है, जहाँ प्रशिक्षित व्यक्ति को उपयोगी बनने में समय लगता है। 2. 25% की प्रतिधारण दर हर बैच को प्रतिस्पर्धा बना देती है — जब चार में से तीन को जाना ही है, तो अग्निवीर का प्रोत्साहन चुने जाने का होता है, सहयोग का नहीं। सीमित स्थायी स्थानों के लिए साथी ही प्रतिद्वंद्वी हों, तो भरोसे पर बनी टुकड़ी कमज़ोर पड़ सकती है।

	3. दृष्टि — स्वतंत्रता और जवाबदेही: जिस योजना को चलाने का आदेश सेवाओं को मिला, उसी को वे आँक रही हैं — प्रस्ताव सेवाओं से DMA और फिर सक्षम प्राधिकारी तक जाते हैं, सब सरकार के भीतर। यह विशेषज्ञ समीक्षा है, पर स्वतंत्र नहीं: बाहर किसी ने आँकड़े नहीं देखे। समझदार अधिकारी परिचालन पर सेवाओं की राय मानेगा, पर लौटने वालों के साथ क्या होता है इसके बाहरी प्रमाण माँगेगा और चाहेगा कि वे संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति तक पहुँचें।
संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न (POSSIBLE MAINS QUESTION)	अग्निपथ योजना के संदर्भ में सशस्त्र बलों में अल्पावधि भर्ती के पक्ष और विपक्ष के तर्कों का परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)
मुख्य परीक्षा प्रश्न हेतु आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH TO THE MAINS QUESTION)	निर्देश — परीक्षण कीजिए — दोनों पक्षों के तर्कों को तौलिए और तर्कसंगत निर्णय दीजिए। भूमिका — क्रीम पर युवा बल — अग्निपथ चार वर्ष के लिए भर्ती करता है, अधिकतम 25% को रखता है और शेष को सेवा निधि पैकेज देता है। मुख्य भाग — पक्ष में तर्क हैं युवा आयु-संरचना और कम दीर्घकालिक पेंशन बोझ — अधिक युवा आयु-प्रोफाइल, अग्रिम मोर्चे की भूमिकाओं के लिए फिटनेस और उपकरणों के लिए मुक्त हुआ धन। मुख्य भाग — विपक्ष में तर्क हैं अनुभव की हानि, कमज़ोर आपसी जुड़ाव और अनिश्चित वापसी — छोटा प्रशिक्षण, स्थायी स्थानों की होड़, 75% के लिए पेंशन नहीं, और युवा पूर्व सैनिकों का पुनर्वास। मूल्य-वर्धन और आरेख — एक कीपनुमा आरेख बनाइए: भर्ती, 25% रखे गए, 75% सेवा निधि के साथ बाहर। निष्कर्ष — प्रमाण के साथ समीक्षा, किसी ढाँचे का बचाव नहीं — परिणामों के आँकड़े प्रकाशित कीजिए और किसी स्वतंत्र निकाय से परखवाइए कि अनुभव की कमी स्वीकार्य है या नहीं।
प्रशासक का मंथन — प्रश्न एवं दृष्टिकोण (ADMINISTRATOR'S BRAINSTORM — Q & APPROACH)	प्रश्न 1. ज़िलाधिकारी के रूप में आप उन पहले अग्निवीरों की वापसी की तैयारी कैसे करेंगे जिन्हें रखा नहीं गया? दृष्टिकोण (Approach): मैं ज़िला सैनिक कल्याण अधिकारी से स्थानीय अग्निवीरों की संख्या और उनकी सेवा-समाप्ति की तिथियाँ माँगूँगा और उनके कौशल की सूची बनाऊँगा। कौशल मिशन, उद्योग केंद्र, बैंकों और पुलिस भर्ती कार्यालय को साथ बुलाऊँगा ताकि हर कोई प्रशिक्षण, ऋण या नौकरी दे सके। एक ही सहायता-केंद्र उन्हें दफ़्तर-दफ़्तर भटकने से बचाएगा। सफलता को मैं इससे मापूँगा कि छह महीने बाद कितने रोज़गार या प्रशिक्षण में हैं।

9. नैतिकता एवं प्रशासक कोना — समन्वित केस स्टडी (Ethics & Administrator's Corner — Integrative Case Studies)

ये तीन केस स्टडी आज के समाचार पत्रों की कहानियों को जीएस4-शैली (GS4-style) के परिदृश्यों में एक साथ पिरोती हैं। आदर्श दृष्टिकोण (Model Approach) पढ़ने से पहले प्रश्नों को कागज़ पर हल करें, जिसे नामित बिंदुओं के रूप में लिखा गया है ताकि आप केवल अपने निष्कर्षों की नहीं, बल्कि अपनी संरचना की भी इससे तुलना कर सकें।

केस 1 — अक्टूबर 1998 में आदेशित तलाशी: सही काम या सुरक्षित काम?

परिदृश्य (SCENARIO) इंडियन एक्सप्रेस (5 अक्टूबर) में IPS अधिकारी त्रिनाथ मिश्रा को श्रद्धांजलि छपी है, जिनका 1 अक्टूबर को निधन हो गया। अक्टूबर 1998 में CBI निदेशक के रूप में उन्होंने एक शक्तिशाली कॉर्पोरेट घराने के परिसरों में तलाशी को मंजूरी दी और कुछ ही हफ्तों में उनका तबादला कर दिया गया। लेखक के अनुसार इसका कारण कोई अनियमितता नहीं थी, बल्कि यह था कि उन्होंने राजनीतिक कार्यपालिका को “भरोसे में” नहीं रखा। उस समय CBI निदेशक का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता था। कल्पना कीजिए कि आप एक जाँच एजेंसी के प्रमुख हैं। आपकी टीम के पास सरकार से घनिष्ठ संबंध रखने वाले एक अत्यंत प्रभावशाली व्यावसायिक समूह के विरुद्ध विश्वसनीय सामग्री है और तलाशी वारंट तैयार हैं। आपकी निगरानी करने वाले मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी कहता है, “मामले में कोई कमी नहीं है, पर पहले मंत्री जी को जानकारी दे दें।” आप जानते हैं कि ब्रीफिंग की बात लीक हो सकती है और इनकार करने पर आपका पद जा सकता है।

प्रश्न 1. परस्पर टकराने वाले मूल्यों की पहचान कीजिए। क्या राजनीतिक कार्यपालिका को सूचित करना कर्तव्य है या हस्तक्षेप?

प्रश्न 2. तलाशी से पहले आप क्या करेंगे और किस बात से साफ़ इनकार करेंगे?

प्रश्न 3. तबादला होने पर उसके परिणामों को आप कैसे सहेंगे?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- सूचना और निर्देश में अंतर कीजिए** — वरिष्ठों को यह जानने का अधिकार है कि कोई बड़ी कार्रवाई चल रही है, और उसके संस्थागत तथा कानून-व्यवस्था संबंधी प्रभावों की जानकारी भी उन्हें दी जानी चाहिए। लेकिन यह तय करने का अधिकार उन्हें नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति की जाँच हो या नहीं। शृंखला में ऊपर सूचना देना जवाबदेही है, जबकि किसी मामले के लिए मंजूरी माँगना हस्तक्षेप है।
- समय का निर्णय साक्ष्य और कानून पर छोड़िए** — सामग्री की जाँच अभियोजक से कराइए, कारण दर्ज कीजिए और वारंट न्यायालय से लीजिए। फ़ाइल पर दर्ज निर्णय मामले और अधिकारी, दोनों की रक्षा करता है। जो देरी साक्ष्य मिटने का मौक़ा दे, वह स्वयं एक अनुचित कृत्य है।
- विधिसम्मत पारदर्शिता, लिखित असहमति** — पर्यवेक्षी प्राधिकारी को केवल उतनी ही जानकारी, लिखित रूप में, दीजिए जितनी नियम माँगते हैं, और स्पष्ट कहिए कि निर्णय एजेंसी का अपना है। यदि रुकने का निर्देश मौखिक हो, तो उसे लिखित में माँगिए।
- निष्कर्ष** — सत्यनिष्ठा को संस्थागत संरक्षण चाहिए — अधिकारी को तबादला बिना कटुता के स्वीकार करना चाहिए। व्यवस्था को वह देना चाहिए जो उसके पास नहीं था, यानी एजेंसी प्रमुख के लिए निश्चित कार्यकाल और पारदर्शी चयन प्रक्रिया।

केस 2 — बूथ 173 के पहले से छपे फ़ॉर्म: एक कनिष्ठ लिपिक, फ़ॉर्म 7 और नाम कटवाने की राजनीति

परिदृश्य (SCENARIO) इंडियन एक्सप्रेस (5 अक्टूबर) के अनुसार हैदराबाद के एक बूथ स्तर अधिकारी (BLO), जो एक मेडिकल कॉलेज में जूनियर असिस्टेंट हैं, ने विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान एक पार्टी के बूथ स्तर एजेंट द्वारा कथित रूप से दाखिल पहले से छपे फ़ॉर्म 7 आपत्तियों का एक पुलिंदा लेने से इनकार कर दिया। फ़ॉर्मों पर EPIC नंबर छपे थे, पर नाम नहीं थे। उन्होंने कहा कि ऐसे फ़ॉर्म लेने के लिए उन्हें कोई निर्देश नहीं मिला था। इनकार का वीडियो खूब फैला, और एक दल ने दूसरे पर थोक में नाम कटवाने की योजना बनाने का आरोप लगाया, जिसका दूसरे दल ने खंडन किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने कहा है कि यदि लोगों को निशाना बनाया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। दावे और आपत्तियाँ 7 अक्टूबर को बंद हो रही हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी हैं। कोई दूसरा एजेंट एक ही दिन में 400 फ़ॉर्म 7 दाखिल करता है; वे सलीके से भरे हैं और हस्ताक्षर एक जैसे दिखते हैं। एक स्थानीय नेता कहता है, “इन्हें जल्दी निपटाइए, वरना शिकायत झेलिए।”

प्रश्न 1. किनके अधिकार दाँव पर हैं, और हर रास्ते की क्या कीमत है?

प्रश्न 2. आप इन फ़ॉर्मों को कैसे संभालेंगे कि वास्तविक आपत्तियाँ भी ख़ारिज न हों और एक भी मतदाता बिना सुने न कटे?

प्रश्न 3. नेता को आप क्या उत्तर देंगे और अपने BLO की रक्षा कैसे करेंगे?

आदर्श दृष्टिकोण (MODEL APPROACH)

- मताधिकार का फ़ैसला संख्या से नहीं होता** — फ़ॉर्म 7 एक दावा है जिसके लिए नामित आपत्तिकर्ता और आधार चाहिए। थोक में फ़ॉर्म दाखिल होना चेतावनी का संकेत है, धोखाधड़ी का प्रमाण नहीं। इसे अधिक सत्यापन का कारण मानिए, थोक में ख़ारिज या स्वीकार करने का नहीं।
- प्रत्यक्ष सत्यापन कीजिए, नाम सुनवाई के बाद ही काटिए** — BLO को निर्वाचक के घर भेजिए, हर निर्वाचक को नोटिस और उत्तर देने का अवसर दीजिए, और निष्कर्ष दर्ज कीजिए। जिस आपत्तिकर्ता ने ग़लत जानकारी दी हो, उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई कीजिए।

3. **मैदानी कर्मचारियों की रक्षा कीजिए** — अपने निर्देश लिखित में दीजिए, ताकि किसी लिपिक के पास “कोई निर्देश नहीं” वाली स्थिति न रहे। सभी शिकायतों का रजिस्टर रखिए और पैटर्न की सूचना मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दीजिए।
4. **निष्कर्ष** — तटस्थता ही अधिकारी का एकमात्र अधिकार है — नेता से कहिए कि फ़ॉर्म चाहे जिस दल ने दाखिल किया हो, हर फ़ॉर्म पर एक ही प्रक्रिया चलेगी। शांत भाव से “मैं अपना कर्तव्य निभा रहा था” कहने वाला BLO दिखाता है कि मतदाता सूची की रक्षा सबसे निचली कड़ी पर भी होती है।

10. प्रारंभिक परीक्षा त्वरित-पुनरीक्षण तथ्य (Prelims Quick-Revision Facts)

ये तथ्य उसी पैटर्न पर लिखे गए हैं जिस पर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims) वास्तव में प्रश्न पूछती है — प्रावधान, मूल अधिनियम, नियुक्ति या प्रशासनिक प्राधिकारी, संरचना, परिभाषा, संधि का वर्ष और कानून में तथ्य सीमा। समाचार केवल संदर्भ देता है; उसके पीछे का स्थायी तथ्य ही पूछा जाता है। जिन अस्थायी आँकड़ों पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं बन सकता, उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है।

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ — DMA और DDP	सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (Positive Indigenisation List) सूचीबद्ध रक्षा मदों के आयात पर रोक लगाती है और उन्हें भारतीय उद्योग से ही खरीदना अनिवार्य करती है। सैन्य कार्य विभाग (DMA) प्रमुख प्लेटफॉर्म और प्रणालियों की सूचियाँ जारी करता है, जबकि रक्षा उत्पादन विभाग (DDP) अपनी अलग सूचियाँ जारी करता है, जिनमें उप-प्रणालियाँ और घटक जैसी मदें आती हैं। द हिंदू के अनुसार DMA की छठी सूची, जिसमें मुख्यतः नौसेना और थलसेना के लिए लाइन रिप्लेसबल यूनिट और उप-प्रणालियाँ जोड़ी जा रही हैं, अंतिम चरण में है।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड — प्रोजेक्ट GIB और संरक्षण प्रजनन	ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) राजस्थान का राज्य पक्षी है और IUCN द्वारा 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' तथा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wildlife (Protection) Act, 1972) की अनुसूची I में सूचीबद्ध है। इसका गढ़ जैसलमेर का मरु राष्ट्रीय उद्यान है, और सम तथा रामदेवरा के संरक्षण-प्रजनन केंद्र जंगल में दिए गए अंडों से पक्षी पालकर उन्हें छोड़ते हैं (PIB, 4 अक्टूबर)।
दोषसिद्धि पर निरहता — धारा 8(3), RP अधिनियम 1951 और लिली थॉमस (2013)	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) की धारा 8(3) के अनुसार किसी अपराध में दोषी ठहराया गया और दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सज़ा पाया विधायक दोषसिद्धि की तिथि से निरह हो जाता है और रिहाई के बाद छह वर्ष तक निरह रहता है। Lily Thomas v. Union of India (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 8(4) को रद्द कर दिया, जो पदासीन सदस्य को अपील लंबित रहने तक बने रहने देती थी। द हिंदू के अनुसार एक विपक्षी नेता ने पूछा है कि चार वर्ष की सज़ा पाए एक पदासीन विधायक पर बिहार के अध्यक्ष ने कार्रवाई क्यों नहीं की।
UAPA और सबूत का मानक — गांदरबल बरी	गांदरबल की एक विशेष NIA अदालत ने UAPA के एक ग्रेनेड हमले के मामले में अभियुक्त को बरी कर दिया। अदालत ने अभिरक्षा-श्रृंखला के टूटने और बरामदगी के अवैध होने का हवाला दिया और कहा कि "कोई विशेष दंडात्मक कानून दोषसिद्धि के लिए कोई विशेष मानक नहीं गढ़ता" (ET)। गैर-कानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967 (Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967) में भी दोष युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करना होगा।
कठिन क्षेत्रों के लिए गैस मूल्य सीमा और APM मूल्य	पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ हर छह महीने में कठिन क्षेत्रों, जैसे गहरे समुद्र और उच्च दाब-उच्च ताप वाले क्षेत्रों, की गैस के लिए मूल्य सीमा अधिसूचित करता है। प्रशासित मूल्य व्यवस्था (APM) ONGC और ऑयल इंडिया के पुराने क्षेत्रों पर लागू होती है, और उसकी गैस शहरी गैस वितरण, उर्वरक और बिजली जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को जाती है (ET)।
बरदा वन्यजीव अभयारण्य और प्रोजेक्ट लायन	बरदा अभयारण्य गुजरात के पोरबंदर और जामनगर जिलों में है और गिर पर दबाव घटाने के लिए प्रोजेक्ट लायन के अंतर्गत एशियाई शेर के 'दूसरे घर' के रूप में विकसित किया जा रहा है। एशियाई शेर IUCN की सूची में 'संकटग्रस्त' है और उसका गढ़ गिर राष्ट्रीय उद्यान है। ET के अनुसार गुजरात बरदा से मालधारी परिवारों को एक पैकेज देकर अन्यत्र बसाएगा।
जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026	PRS के अनुसार गृह मंत्रालय का यह विधेयक अगस्त 2026 में संसद से पारित हुआ। इसके अनुसार दो वर्ष से अधिक बीत जाने पर जन्म या मृत्यु के पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश चाहिए, जबकि पहले एक वर्ष बाद जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट यह आदेश दे सकता था। मूल कानून जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (Registration of Births and Deaths Act, 1969) है।
त्रि-भाषा सूत्र — तीसरी भाषा पर सर्वोच्च न्यायालय की राहत	द हिंदू के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 7, 8 और 9 को दी गई राहत अब वर्तमान कक्षा 6 के विद्यार्थियों तक बढ़ा दी है: कक्षा 10 में तीसरी भाषा का मूल्यांकन आंतरिक होगा, बोर्ड परीक्षा में नहीं। यह सूत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से आता है, और शिक्षा समवर्ती सूची में है।
साल हार्टवुड बोरर — <i>Hoplocerambyx spinicornis</i>	साल हार्टवुड बोरर एक लंबे सींग वाला भुंग है जो साल (Shorea robusta) पर हमला करता है, जो कान्हा और पेंच के आवासों का केंद्रीय वृक्ष है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार केंद्र ने मध्य प्रदेश के डिंडोरी में संक्रमित साल वृक्षों की कटाई को मंजूरी दी है, और ग्रामीणों को प्रति भुंग पकड़ने पर भुगतान किया जाता है। वन भूमि पर कटाई के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (Forest (Conservation) Act, 1980) के अंतर्गत अनुमोदन आवश्यक है।
रामप्पा मंदिर और PVNR खुली खदान	रामप्पा (रुद्रेश्वर) मंदिर, तेलंगाना के पालमपेट में स्थित 13वीं सदी का काकतीय स्मारक, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और 'सैंडबॉक्स' नींव पर टिका है। द हिंदू के अनुसार कार्यकर्ता सिंगरेनी कोलियरीज की प्रस्तावित PVNR खुली कोयला खदान का विरोध कर रहे हैं, जो इससे लगभग 5 किमी निचली धारा की ओर है। ऐसे स्थलों की सुरक्षा विश्व धरोहर अभिसमय, 1972 (World Heritage Convention, 1972) पर

विषय (TOPIC)	परीक्षा-पैटर्न तथ्य (EXAM-PATTERN FACTS)
	और राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकों के लिए प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958) पर टिकी है।
फ़िजी और तुवालू में प्री-COP — COP31	प्री-COP संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय के वार्षिक सम्मेलन (COP) से पहले होने वाली मंत्रिस्तरीय बैठक है। द हिंदू के अनुसार फ़िजी की मेज़बानी में हो रहा प्री-COP तुवालू जाएगा, जो प्रशांत का निचला प्रवाल-द्वीप देश है और जिसके रीफ़ बनाने वाले प्रवाल 2024 की समुद्री ऊष्म लहर से प्रभावित हुए थे। COP31 तुर्किए में होना है।
विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025	यह विधेयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जैसी संस्थाओं की जगह उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक का प्रस्ताव करता है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एकल नियामक के विचार के अनुरूप है। द हिंदू में छुपे एक लेख में तर्क दिया गया है कि अति-नियमन संस्थानों का दम घोटता है। शिक्षा समवर्ती सूची (प्रविष्टि 25) में है, और उच्च शिक्षा के मानक संघ सूची की प्रविष्टि 66 में है।
धारा 163 BNSS — दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की उत्तराधिकारी	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) की धारा 163 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 की जगह लेती है और ज़िला मजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकृत मजिस्ट्रेट को उपद्रव या आसन्न खतरे के आपात मामलों में किसी क्षेत्र में लोगों को किसी कृत्य से विरत रहने का निर्देश देने का अधिकार देती है। द हिंदू के अनुसार जंतर मंतर पर प्रदर्शनों के दौरान नई दिल्ली क्षेत्र में इसे लागू किया गया।

स्रोत टिप्पणी (Source note): सभी सामग्री द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स (दिल्ली संस्करण) — 5 अक्टूबर 2026 से ली गई है, जहां संकेतित है वहां आधिकारिक विज्ञप्तियों (official releases) और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS Legislative Research) से पूरक। तथ्य, आंकड़े और उद्धरण उसी तारीख को रिपोर्ट किए गए अनुसार पुनरुत्पादित हैं; उत्तर में उपयोग करने से पहले उनकी वर्तमानता (चल रही कानूनी कार्यवाही, बदलते आंकड़े) सत्यापित करें।

11. उत्तर-लेखन, GS1, मानचित्र, नीतिशास्त्र और CSAT

रोज़ का वह हिस्सा जो अखबार नहीं देते: एक पूरा लिखा आदर्श उत्तर, GS1 का एक स्थायी विषय, मानचित्र अभ्यास, GS4 का एक सैद्धांतिक शब्द और CSAT का अभ्यास।

11.1 आज का आदर्श उत्तर — कार्ड 1.1 (15 अंक, 250 शब्द)

“जो कानून किसी निर्णय के प्रभाव को तो निष्प्रभावी कर दे, पर उसके विधिक आधार को न हटाए, वह शक्तियों के पृथक्करण को कमज़ोर करता है।” CAPF (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

भूमिका — CAPF (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 महानिरीक्षक के 50% पद, अपर महानिदेशक के कम से कम 67% पद तथा विशेष महानिदेशक और महानिदेशक के सभी पद प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित करता है, और नियम-निर्माण को विपरीत निर्णय के बावजूद (“notwithstanding”) चलने देता है। सर्वोच्च न्यायालय के मई 2025 के निर्णय ने केंद्र को IPS प्रतिनियुक्ति क्रमशः घटाने का निर्देश दिया था।

- संसद दोष दूर कर सकती है, निर्णय को निष्प्रभावी नहीं** — विधायिका निर्णय का विधिक आधार हटा सकती है और नए कानून को न्यायालय की नई कसौटी पर छोड़ सकती है। पर “निर्णय नियम-निर्माण को बाध्य नहीं करेगा” कहने वाला खंड निष्प्रभावन जैसा लगता है; यह पीठ तय करेगी।
- केंद्र के परिचालन-संबंधी तर्क में वज़न है** — गृह मंत्रालय के अनुसार राज्यों में भेजे गए बलों को राज्य पुलिस से संपर्क के लिए IPS अधिकारी चाहिए, और कैडर नियम बनाना संघ का अधिकार है।
- फिर भी यह हर शीर्ष पद का लाइसेंस नहीं** — सहायक कमांडेंट के रूप में भर्ती कैडर अधिकारी हर प्रतिनियुक्ति पद को छिनी पदोन्नति मानते हैं। संपर्क की ज़रूरत सभी DG पद बाहर से भरने को उचित नहीं ठहराती।
- अवमानना और चुनौती के लिए अलग तर्क चाहिए** — अवमानना पृच्छती है कि क्या आदेश की जानबूझकर अवज्ञा हुई; चुनौती पृच्छती है कि क्या अधिनियम वैध है। अधिनियम टिका, तो अवमानना कमज़ोर पड़ेगी।

निष्कर्ष — कथन तब सही है जब “notwithstanding” खंड निर्णय को निष्प्रभावी करे, और तब ग़लत जब वह केवल दोष दूर करे। आगे की राह: नियम प्रतिनियुक्ति का अल्पांश कोटा तय करें, जिसे प्रकाशित कैडर समीक्षा का आधार मिले।

यह बनाइए: प्रवाह-चित्र: मई 2025 का निर्णय, फिर “notwithstanding” खंड वाला 2026 का अधिनियम, फिर अवमानना याचिका और चुनौती, जो एक ही पीठ के सामने आएँ; दर्शाइए कि अवमानना अधिनियम के भाग्य पर निर्भर है।

(249 शब्द)

11.2 GS1 कोना — भूगोल: अरावली पर्वतमाला और दिल्ली रिज: मरुस्थल के किनारे एक प्राचीन वलित पर्वत

आज का संदर्भ: 5.1

- अरावली विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में है, जो अब घिसकर नीचा हो चुका है** — यह गुजरात से राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर फैली है और रिज पर समाप्त होती है। लंबे अपरदन ने इसे नीची, टूटी पहाड़ियों में बदल दिया है; यह नवीन हिमालय के विपरीत एक अवशिष्ट पर्वत है। माउंट आबू का गुरु शिखर, लगभग 1,722 मीटर, इसकी सबसे ऊँची चोटी है।
- यह जल-विभाजक और अवरोध का काम करती है** — इसके पश्चिम की ओर की लूनी नदी कच्छ के रण की ओर बहती है, जबकि पूर्व की बनावस चंबल और गंगा तंत्र में जाकर मिलती है।

प्रारंभिक परीक्षा के तथ्य

- अरावली गुजरात से राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाती है; इसकी सबसे ऊँची चोटी माउंट आबू का गुरु शिखर है।
- अरावली के पश्चिम की ओर की लूनी कच्छ के रण क्षेत्र में समाप्त होती है; बनावस चंबल की सहायक नदी है।
- अरावली एक अवशिष्ट (relict) वलित पर्वत है, जो भारत के सबसे प्राचीन पर्वतों में गिना जाता है।

11.3 समाचार में स्थान — अपने एटलस पर चिह्नित करें

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य (Bab el-Mandeb strait)	यमन और जिबूती के बीच, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है।	हथियों ने इस पर कब्ज़ा किया; यमन सरकार ने 4 अक्टूबर को आक्रमण शुरू किया (4.1)।	यह एशिया से यूरोप जाने वाले लाल सागर-स्वेज़ मार्ग का दक्षिणी द्वार है; होर्मुज़ फ़ारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है।

स्थान	कहाँ है	समाचार में क्यों	प्रारंभिक तथ्य
बोगीबील टर्मिनल, डिब्रुगढ़ (Bogibeel Terminal, Dibrugarh)	ऊपरी असम में डिब्रुगढ़ पर ब्रह्मपुत्र के किनारे; NW-2 बांग्लादेश सीमा पर धुबरी तक निचली धारा में जाता है।	बांग्लादेश के लिए पहली खेप (ढाका के पंगांव हेतु मेथेनॉल) 5 अक्टूबर को रवाना हुई (4.2)।	NW-2 धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र है; NW-1 प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा है।
उत्तरी रिज, दिल्ली (Northern Ridge, Delhi)	उत्तरी दिल्ली में, यमुना की ओर अरावली पर्वतमाला की उत्तरी पूँछ; मध्य और दक्षिणी रिज इसके दक्षिण में हैं।	दिल्ली ने 2 अक्टूबर को 112.3 हेक्टेयर को आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने के प्रथम चरण को मंजूरी दी (5.1)।	आरक्षित वन की घोषणा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (Indian Forest Act, 1927) की धारा 20 के अंतर्गत होती है; रिज अरावली पर्वतमाला का विस्तार है।

11.4 आज का नीतिशास्त्र शब्द (GS4 खंड A): नैतिक साहस (Moral courage)

अर्थ — नैतिक साहस वह तत्परता है जिससे व्यक्ति वही करता है जिसे वह सही मानता है, भले ही उससे उसके करियर या लोकप्रियता को खतरा हो। यह हठ से भिन्न है, क्योंकि इसका आधार तर्क और कानून है, अहं नहीं।

आज के समाचार में — केस 1 में एजेंसी प्रमुख को तय करना है कि किसी शक्तिशाली समूह पर तलाशी से पहले मंत्री को जानकारी दे या नहीं, जिसमें उसका पद जाने का जोखिम है। केस 2 में एक कनिष्ठ BLO पहले से छपे थोक फॉर्म 7 आपत्तियाँ लेने से इनकार करता है।

उत्तर में उपयोग — इसे उस केस स्टडी में प्रयोग कीजिए जहाँ अधिकारी पर वरिष्ठ का दबाव हो: साहस का नाम लीजिए, फिर दिखाइए कि उसे अभिलेखों और विधिक प्रक्रिया के सहारे वैध रूप से कैसे निभाया गया।

11.5 CSAT अभ्यास (प्रश्नपत्र II)

नीचे का अनुच्छेद मौलिक है, आज के एक संपादकीय के विषय पर। पहले उत्तर स्वयं चुनें, फिर अंत में उत्तर-कुंजी देखें।

जलाशय केवल पानी का भंडार नहीं होता; वह समय का भंडार होता है। जब बारिश धोखा दे जाती है, तब बाँध के पीछे जमा पानी तय करता है कि कोई शहर अपनी आदतें बदलने से पहले कितने सप्ताह प्रतीक्षा कर सकता है। फिर भी लंबालंब जलाशय भ्रम में डाल सकता है। जो ज़िला भरे बाँधों के साथ किसी बुरे वर्ष में प्रवेश करता है, वह कठिन निर्णयों को टाल सकता है, वही प्यासी फ़सलें और बिना मीटर के पंपिंग जारी रख सकता है, और फिर पाता है कि एक ख़राब मौसम उस भंडार को खाली कर देता है जिसे कई अच्छे मौसमों ने जमा किया था।

इसीलिए योजनाकार दो प्रकार के सूखे की बात करते हैं। एक है वर्षा की कमी, जिसे कोई प्रशासन नहीं रोक सकता; दूसरा है तैयारी की कमी, जो चुनाव का विषय है। जो क्षेत्र पतली मिट्टी पर अधिक पानी माँगने वाली फ़सलें उगाता है, हर वर्ष बोरवेल गहरे होने देता है और नहरों की मरम्मत टालता है, वह मौसम की एक घटना को नीतिगत विफलता में बदल देता है। उतनी ही वर्षा वाला दूसरा क्षेत्र बहुत कम कठिनाई के साथ गुज़र सकता है, क्योंकि उसने भूजल को सुरक्षित रखा है और पहले से तय कर रखा है कि सबसे पहले किसे पानी मिलेगा।

राहत पर होने वाला खर्च इन चुनावों का स्थान नहीं ले सकता। संकट आ जाने पर टैंकर और चारा शिविर अपरिहार्य हैं, पर वे लक्ष्मणों का इलाज करते हैं और महंगे तथा धीमे होते हैं। अच्छे वर्षों में चुपचाप बनाई गई बचत, यानी जलभृतों का पुनर्भरण या रिसाव की मरम्मत, को कम ध्यान मिलता है, क्योंकि जिस आपदा को वह रोकती है वह कभी घटती ही नहीं और इसलिए कभी दिखती भी नहीं। यही तैयारी की कठिनाई है: उसकी सफलता अदृश्य रहती है, और जो अदृश्य है, वही अक्सर बजट से सबसे पहले काटा जाता है।

इसका अर्थ यह नहीं कि वर्षा महत्वहीन है। इसका अर्थ यह है कि कमज़ोर मानसून जो नुकसान करता है, वह इस पर बहुत निर्भर करता है कि उसके आने से पहले क्या किया गया था।

Q1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन अनुच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है?

- जलाशय और बड़े बनाए जाने चाहिए ताकि कोई ज़िला कभी कमी का सामना न करे।
- राहत पर खर्च व्यर्थ है और उसकी जगह किसानों को कर-छूट दी जानी चाहिए।
- कमज़ोर मानसून से होने वाला नुकसान काफ़ी हद तक पूर्व-तैयारी पर निर्भर करता है, जिसकी उपेक्षा आसान है क्योंकि उसकी सफलता दिखती नहीं।
- सूखा पूरी तरह ख़राब प्रशासन के कारण पड़ता है, वर्षा के कारण नहीं।

Q2. लेखक का यह दावा कि तैयारी “अक्सर बजट से सबसे पहले काटी जाती है”, किस मान्यता पर आधारित है?

- खर्च के निर्णय प्रायः उन समस्याओं के पीछे चलते हैं जिन्हें लोग देख सकते हैं।
- सभी राज्यों की सरकारें पानी पर खर्च करने को तैयार नहीं होतीं।
- अच्छी वर्षा वाले वर्ष हमेशा जोड़े में आते हैं।
- जलभृतों का पुनर्भरण टैंकर सेवा चलाने से अधिक महंगा है।

Q3. निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष अनुच्छेद से सर्वाधिक तर्कसंगत रूप से निकाला जा सकता है?

- वर्ष के आरंभ में भरे बाँधों वाला ज़िला निश्चित रूप से कठिनाई से बच जाएगा।

- (b) सूखा शुरू हो जाने पर टैंकर आपूर्ति बंद कर देनी चाहिए।
 (c) फ़सल का चुनाव इस पर कोई असर नहीं डालता कि सूखा कितनी कठिनाई पैदा करता है।
 (d) समान वर्षा पाने वाले दो क्षेत्र अलग-अलग स्तर की कठिनाई झेल सकते हैं।

तर्कशक्ति और गणित

Q4. 2,400 लोगों की आबादी वाले एक गाँव में 15 दिन तक प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 18 लीटर की दर से टैंकरों से पानी पहुँचाया जाता है। प्रत्येक टैंकर में 12,000 लीटर पानी आता है। कुल कितने टैंकर चक्कर लगाने होंगे?

- (a) 45
 (b) 54
 (c) 60
 (d) 72

Q5. पाँच गाँव P, Q, R, S और T एक नहर के किनारे शीर्ष से पुच्छ तक एक पंक्ति में हैं। P शीर्ष पर है, T पुच्छ पर है, और S ठीक T से पहले है। Q, R की तुलना में शीर्ष के अधिक निकट है। बीच में कौन-सा गाँव है?

- (a) P
 (b) Q
 (c) R
 (d) S

उत्तर-कुंजी और व्याख्या

Q1: (c) तैयारी ही विषय है। विकल्प 1 टैंकरों को “अपरिहार्य” कहने से टकराता है; विकल्प 3 अति-चरम है, क्योंकि वर्षा फिर भी मायने रखती है।

Q2: (a) जो आपदा टल जाती है वह कभी दिखती नहीं, इसलिए यह दावा मानता है कि दृश्यता बजट को दिशा देती है। विकल्प 1 अति-सामान्यीकरण है; 2 और 3 अनुच्छेद में नहीं कहे गए।

Q3: (d) अनुच्छेद समान वर्षा वाले दो क्षेत्रों की तुलना करता है। विकल्प 0 वही भ्रम है जिससे पहला अनुच्छेद सावधान करता है।

Q4: (b) पानी = $2,400 \times 18 \times 15 = 648,000$ लीटर; चक्कर = $648,000 \div 12,000 = 54$ ।

Q5: (c) S ठीक T से पहले है, इसलिए S चौथे स्थान पर है। Q और R स्थान 2 और 3 भरते हैं, और Q शीर्ष के अधिक निकट है, इसलिए Q दूसरे और R तीसरे स्थान पर है। क्रम P, Q, R, S, T में R बीच में आता है।

12. आज के निबंध (Essays of the Day)

दो निबंध, ऐसे प्रश्नों पर जिनकी भाषा निबंध (Essay) प्रश्नपत्र वास्तव में जिस तरह तय करता है, और एक शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थी के समयबद्ध लेखन की शैली में लिखे गए। इन्हें संरचना और उदाहरणों के दायरे के लिए पढ़ें — याद करने के लिए नहीं।

निबंध (ESSAY) 1 • निबंध • खंड A • 6 मिनट पठन (min read)

कोई निर्णय उतना ही वैध है, जितने कारण उसका निर्णायक बताने को तैयार है।

विषय (Themes): विवेकाधिकार, कारण और विधि का शासन • निर्णय कौन करे, और निर्णायक पर अंकुश कौन रखे • संस्थाओं पर भरोसा और शॉर्टकट की क्रीमत

परीक्षा हमें एक विनम्र करने वाली सीख देती है: बिना हल के सही उत्तर को उतने अंक नहीं मिलते जितने हल के साथ लिखे सही उत्तर को। परीक्षक यह नहीं मान रहा कि मुझे आता नहीं; वह जाँचना चाहता है। परीक्षा-कक्ष का यह छोटा-सा नियम ही मेरे विषय का सार है। जो भी दूसरों के बारे में निर्णय करता है, चाहे वह बाबू हो, कलेक्टर, न्यायाधीश या मंत्री, उसके पास ऐसी शक्ति होती है जिसके भीतर कोई झँक नहीं सकता। उस छिपे हुए निर्णय और उसे भुगतने वाले व्यक्ति के बीच एकमात्र पुल वह कारण है जो बताया जाए। इस निबंध में मेरा तर्क है कि निर्णय को अधिकार निर्णायक के पद से नहीं मिलता, और केवल सही होने से भी नहीं; वह इससे मिलता है कि निर्णायक बताने को तैयार हो कि क्यों, और यह सुनने को भी कि वह ग़लत है।

आरंभ इससे कि विवेकाधिकार को क्यों समाप्त नहीं किया जा सकता। कोई नियम-पुस्तिका हर मामले का पूर्वानुमान नहीं कर सकती। प्रशासन को ऐसे अधिकारी चाहिए जो देख सकें कि बाढ़-पीड़ित किसान के कागज़ात इसलिए देर से आए क्योंकि पुल बह गया था। प्रश्न यह है कि उनके निर्णय को ईमानदार कौन रखता है। सर एडवर्ड कोक ने 1598 में *Rooke's Case* में इसका उत्तर दिया, एक ऐसी परिभाषा के साथ जो आज भी लोक प्रशासन के पाठ-सी लगती है। आयुक्तों को “अपने विवेक के अनुसार” कार्य करने का अधिकार दिया गया था। कोक ने कहा कि फिर भी उनकी कार्यवाही कारण और विधि से बँधी रहनी चाहिए, क्योंकि विवेक “असत्य और सत्य के बीच, अनुचित और उचित के बीच भेद करने का विज्ञान या समझ” है, “अपनी इच्छाओं और निजी लगावों के अनुसार” कार्य करना नहीं। अर्थात् विवेकाधिकार कभी कारणों से मुक्ति नहीं था; वह सही कारण खोजने का कर्तव्य था।

कारण का इतना वज़न क्यों है? क्योंकि बाहर से देखने पर सत्ता एक-सी दिखती है, चाहे वह विवेकपूर्ण हो या दुष्ट। लॉर्ड एक्टन ने 1887 में बिशप क्रेडटन को लिखा कि “सत्ता भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखती है और निरंकुश सत्ता पूरी तरह भ्रष्ट कर देती है”, और जोड़ा कि हर धारणा सत्ताधारियों के विरुद्ध जाती है। कारण वह साधन है जिससे यह धारणा खंडित की जाती है। वह “क्योंकि मैं कह रहा हूँ” को “क्योंकि यह बात है, और आप इसे परख सकते हैं” में बदल देता है। मैडिसन (या हैमिल्टन, क्योंकि फ़ेडरलिस्ट नं. 51 के लेखक पर अब भी विवाद है) ने यही बात संवैधानिक भाषा में कही: मनुष्यों पर मनुष्यों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार गढ़ने में “पहले तुम्हें सरकार को शासितों पर नियंत्रण रखने योग्य बनाना होगा; और फिर उसे स्वयं पर नियंत्रण रखने को बाध्य करना होगा।” अधिकारी को अपने कारण बताने के लिए बाध्य करना इस आत्म-नियंत्रण का सबसे सस्ता रूप है।

कारण न देने की क्रीमत भारत के अनुभव में सबसे साफ़ दिखती है। 1976 में ए.डी.एम. जबलपुर में सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत ने माना कि आपातकाल में निरुद्ध नागरिक यह भी नहीं पूछ सकता कि उसे क्यों रोका गया है। न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना ने असहमति दी, और इसकी क्रीमत मुख्य न्यायाधीश के पद से चुकाई; देश ने तब से उनकी असहमति को ही न्यायालय की सच्ची आवाज़ माना है। क्षति की भरपाई न्यायालय ने खुद की: ई.पी. रॉयप्पा (1974) में मनमानेपन को समता का विरोधी ठहराया गया, और मेनका गांधी (1978) में कहा गया कि व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने वाली हर प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और युक्तियुक्त हो, सनकी नहीं। 2014 में न्यायालय ने दो दशकों में आवंटित दो सौ से अधिक कोयला खंड रद्द कर दिए, क्योंकि उस प्रक्रिया को किसी सिद्धांत पर समझाया नहीं जा सकता था। बड़ा नुकसान यह था कि जनता ने जाना कि एक राष्ट्रीय संसाधन ऐसे विवेक से बाँटा गया जो अपना हिसाब नहीं दे सकता था। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(d) अब हर लोक प्राधिकारी को बाध्य करती है कि वह प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक निर्णयों के कारण बताए।

कारणों का महत्त्व अदालत से बाहर भी है, और विज्ञान इसका प्रमाण है। 1960 में अमेरिकी FDA में नई-नई आई समीक्षक फ्रांसेस ओल्डहैम केलसी ने थैलिडोमाइड को अमेरिका में बिक्री की मंजूरी देने से मना कर दिया। उनके पास केवल एक बताया हुआ कारण था कि निर्माता के सुरक्षा-आँकड़े अपर्याप्त हैं, और महीनों के दबाव में वे उसे दोहराती रहीं। जब यूरोप में इस दवा का जन्म-दोषों से संबंध सामने आया, तो उसी कारण ने अनगिनत अमेरिकी बच्चों को बचा लिया। उन्हें उनके पद ने नहीं, एक ऐसे इनकार ने बचाया जो लिखित था, जिस पर प्रश्न उठाया जा सकता था और जिसे जाँचा जा सकता था। विज्ञान में सहकर्म-समीक्षा इसी सिद्धांत पर चलती है: कोई

परिणाम इसलिए नहीं माना जाता कि किसी बड़े नाम ने उसकी घोषणा की, बल्कि इसलिए कि उसकी पद्धति उनके सामने खुली है जो उसे विफल होते देखना चाहेंगे।

साहित्य इसके उलट भयावहता को बहुत पहले पहचान चुका है। काफ़का के उपन्यास *The Trial* में जोसेफ़ K. को गिरफ़्तार किया जाता है और उसे कभी नहीं बताया जाता कि आरोप क्या है; वहाँ दुःस्वप्न क्रूरता का नहीं, अपारदर्शिता का है, ऐसी सत्ता का जिससे कुछ पूछा ही नहीं जा सकता। शेक्सपियर के *Measure for Measure* में एंजेलो, जिसे ड्यूक का विवेकाधिकार सौंपा गया है, क्लॉडियो को उस दोष के लिए मृत्युदंड देता है जो वह स्वयं करने जा रहा है। दोनों लेखक सत्ता के विरुद्ध नहीं थे। दोनों ने देखा कि जो सत्ता अपने को समझाने से इनकार करती है, वह भीतर से सड़ने लगती है, क्योंकि निर्णय करने वाला किसी के प्रति, यहाँ तक कि अपने विवेक के प्रति भी, जवाबदेह नहीं रह जाता।

प्रतिपक्ष को उसका पूरा वज़न मिलना चाहिए। कुछ निर्णय बिना बताए कारणों के भी वैध होते हैं। ज़ूरी अपना निर्णय सुनाती है और कुछ नहीं कहती, फिर भी हम उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि उसकी वैधता प्रक्रिया से आती है: वह जनता में से चुनी जाती है, नियमों के अधीन विचार करती है, और उसका निर्णय उस सामग्री तक सीमित रहता है जो उसके सामने रखी गई। ऑपरेशन के बीच में सर्जन, मोर्चे पर कमांडर और नाज़ुक वार्ता में राजनयिक हमेशा रुककर सफ़ाई नहीं दे सकते। राष्ट्रीय सुरक्षा पूरे कारणों को गोपनीय रख सकती है। और एक शांत खतरा भी है: कारण माँगने की प्रथा कर्मकांड में बदल सकती है, यानी पहले से तय बात को सही ठहराने वाली घिसी-पिटी इबारत की फ़ाइलें। अंत में, कारण न देने वाला भी सही हो सकता है; पर यदि केवल सही होना ही कसौटी होता, तो भाग्यशाली तानाशाह भी वैध शासक कहलाता।

ये सभी बातें थिसिस को खंडित नहीं करतीं, उसे और धार देती हैं। ज़ूरी की चुप्पी इसलिए स्वीकार्य है कि उसके आसपास की व्यवस्था खुली है: मुकदमा सार्वजनिक है, साक्ष्य की परीक्षा होती है, न्यायाधीश के निर्देश अभिलेख पर हैं और अपील का रास्ता है। कमांडर अपने कारण बाद में बताता है, जाँच-न्यायालय या संसद को। गोपनीय कारण तभी स्वीकार्य हैं जब कोई स्वतंत्र व्यक्ति, न्यायाधीश या समिति, उन्हें पढ़ सके। हर स्थिति में कारण टाले या सौंपे जाते हैं, उनसे छुटकारा नहीं पाया जाता। न्यायमूर्ति फ्रैंकफ़र्ट ने *McNabb v. United States* (1943) में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की ओर से लिखते हुए यह सबक एक वाक्य में कह दिया: “स्वतंत्रता का इतिहास बहुत हद तक प्रक्रियात्मक रक्षा-उपायों के पालन का इतिहास रहा है।” स्वतंत्रता उन्हीं फीके-से क़दमों में बसती है, नोटिस, सुनवाई, लिखित आदेश, जो सत्ता को जवाबदेह बनाते हैं। दिखावटी कारणों का इलाज उन्हें छोड़ देना नहीं, उन्हें पुनर्विलोकन-योग्य बनाना है, ताकि घिसी-पिटी इबारत अपने असली रूप में उजागर हो जाए।

शॉर्टकट का लालच हमेशा रहता है। कारण देना धीमा है, चुनौती को न्योता देता है, और यह भी उजागर कर सकता है कि निर्णय जितना दिखता था उससे कमज़ोर था। जो प्रशासक इसे छोड़ देता है वह एक दोपहर बचाता है, पर यह बचत भरोसे के बदले उधार ली गई है, उस पूँजी के बदले जिसे कोई संस्था छाप नहीं सकती। नवंबर 1956 की अरियालुर रेल दुर्घटना के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दिया, जो वे उसी वर्ष की एक पहले की दुर्घटना के बाद भी एक बार दे चुके थे; नेहरू ने इसे स्वीकार किया और संसद में कहा कि वे इसे संवैधानिक औचित्य की मिसाल के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि शास्त्री व्यक्तिगत रूप से दोषी थे। जवाबदेही पद का अंग है। एक व्यक्ति द्वारा किया गया निर्णय अंततः बहुतों के सामने रखा जाना चाहिए, और कारण वह हाथ है जो उसे उठाता है। जो दूसरों के लिए निर्णय करता है, उसका उनके प्रति कम से कम इतना ऋण है कि वह अपना हल दिखाए।

आज के कार्ड्स से निर्मित (Built from today's cards):